57(?)

REPORTS OF SELECT/ JOINT COMMITTEES (Hindi Version)

प्रवर / संयुक्त समितियों का प्रतिवेदन

28

1969 - 70

57

C.B. II
R 26(3)

सी० बी० (II) संख्या 224

लोक-सभा

संविद् श्रमिक (विनियमन और उत्सादन) विधेयक, 1967

(संयुक्त समिति का प्रतिवेदन)

(26 फरवरी, 1969 को पेश किया गया)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

फरवरी, 1969/फाल्गुन, 1890 (शक)

मूल्य : 95 पैसे

विषय-सूची

पृष्ठ

1. संयुक्त समिति की रचना . . . . (iii)
2. संयुक्त समिति का प्रतिवेदन . . . . (v)
3. विमति टिप्पण . . . . (ix)
4. संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विधेयक 1

परिशिष्ट एक—

विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने के लिए लोक सभा में प्रस्ताव . . . 16

परिशिष्ट दो—

राज्य सभा में प्रस्ताव 18

परिशिष्ट तीन—

संयुक्त समिति द्वारा प्राप्त ज्ञापनों/अभ्यावेदनों का विवरण 19

परिशिष्ट चार—

विभिन्न राज्यों में उन उद्योगों, पत्तनों, गोदियों और रेलवे स्थापनों की सूची जिनके कार्य-चालन का तत्स्थानीय अध्ययन करने के लिए संयुक्त समिति के सदस्यों ने दौरा किया . . . 21

परिशिष्ट पांच—

उन पार्टियों की सूची जिन्होंने संयुक्त समिति के समक्ष साक्ष्य दिया 23

परिशिष्ट छः —

संयुक्त समिति की बैठकों के कार्यवाही-सारांश 24

संविद श्रमिक (विनियमन और उत्सादन) विधेयक, 1967 सम्बन्धी संयुक्त समिति

समिति की रचना

श्री काशीनाथ पाण्डेय---**सभापति**

सदस्य

लोक-सभा

2. श्री आर० के० अमीन
3. श्री एन० अम्बुचेझियान
4. श्री त्रिदिब चौधरी
5. श्री एस० देवीकन
6. श्री के० आर० गणेश
7. श्री श्रीचन्द गोयल
8. श्री रामकृष्ण गुप्त
9. श्री एस० सी० जमीर
10. डा० रानेन सेन
11. श्री हुकम चन्द कछवाय
12. कुमारी कमला कुमारी
13. श्री समरेन्द्र कुन्दू
14. श्री भजहरि महतो
15. श्री के० आनन्द नम्बियार
16. श्री एस० डी० पाटिल
17. श्री खगपति प्रधानी
18. श्री एस० पी० राममूर्ति
19. श्री विश्वास राय नरसिम्हा राव
20. डा० शिशिर कुमार साहा
21. श्री पी० एम० सईद
22. श्री देवेन सेन
23. श्री बी० शंकरानन्द
24. श्री शशि भूषण
25. श्री विश्वनारायण शास्त्री
26. श्री एस० एम० सोलंकी
27. श्री जी० वेंकटस्वामी

28. श्री आर० एस० विद्यार्थी
29. श्री वीरभद्र सिंह
30. श्री दा० रा० चव्हाण

राज्य सभा

31. श्री अनन्त प्रसाद शर्मा
32. श्री बी० के० महन्ती
33. श्री दलपत सिंह
34. श्री ए० सी० गिलबर्ट
35. पंडित भवानी प्रसाद तिवारी
36. श्री श्यामधर मिश्र
37. श्री शेरखां
38. श्री श्रीमन प्रफुल्ल गोस्वामी
39. श्री संदा नारायणप्पा
40. श्री सुन्दरमणि पटेल
41. श्री प्रेम मनोहर
42. श्री रेवती कान्त सिन्हा
43. श्री सूरज प्रसाद
44. श्री ब्रह्मानन्द पाँडा
45. श्री जयसुखलाल हाथी

बैधानिक परामर्शदाता

1. श्री पी० एल० गुप्त, अतिरिक्त वैधानिक परामर्शदाता, विधि मंत्रालय।

श्रम तथा रोजगार विभाग के प्रतिनिधि

1. श्री पी० सी मेथ्यूस—सचिव।
2. डा० एस टी० मेरानी—संयुक्त सचिव।
3. श्री एच० के० चौधरी —विशेष कार्य अधिकारी (विधि)।
4. श्री आर० बी० शुक्ल—निदेशक, श्रमिक सम्बन्ध।
5. श्री ओ० वेंकटाचलम—श्रम मुख्य आयुक्त (केन्द्रीय)।
6. श्री एस० सी० गुप्त—श्रम उप मुख्यायुक्त (केन्द्रीय)।

सचिवालय

श्री मेहर चन्द चावला —उप सचिव।

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

मैं, संयुक्त समिति का सभापति जिसे कतिपय स्थापनों में संविद श्रमिकों के नियोजन को विनियमित करने और कतिपय परिस्थितियों में उनके उत्सादन तथा तत्संसक्त अन्य विषयों का उपबन्ध करने वाला विधेयक* सौंपा गया था, समिति की ओर से उसका प्रतिवेदन पेश करने के लिए प्राधिकृत किये जाने पर, समिति द्वारा संशोधित रूप में विधेयक के साथ, समिति का प्रतिवेदन पेश करता हूं।

2. यह विधेयक लोक-सभा में 31 जुलाई, 1967 को पेश किया गया था। विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने के लिए प्रस्ताव लोक-सभा में श्रम तथा पुनर्वास मंत्री श्री जयसुख लाल हाथी द्वारा 7 मई, 1968 को पेश किया गया जो उसी दिन स्वीकृत हुआ (परिशिष्ट एक)।

3. राज्य-सभा ने उक्त प्रस्ताव पर 13 मई, 1968 को चर्चा की और इससे सहमत हुई (परिशिष्ट दो)।

4. राज्य-सभा से सन्देश लोक-सभा के समाचार भाग 2, दिनांक 16 मई, 1968 में प्रकाशित हुआ।

5. समिति की कुल तेरह बैठकें हुईं।

6. समिति की पहली बैठक अपना कार्यक्रम तैयार करने के लिए 14 मई, 1968 को हुई। इस बैठक में समिति ने इसके समक्ष अपने विचार रखने के इच्छुक सार्वजनिक निकायों, मजदूर संघों, संगठनों, संस्थाओं और व्यक्तियों से साक्ष्य की सुनवाई करने और इस प्रयोजनार्थ ज्ञापन आमंत्रित करने के लिए एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करने का फैसला किया। समिति ने यह फैसला भी किया कि विधेयक के उपबन्धों पर अखिल भारतीय प्रतिनिधि मजदूर संघों के केन्द्रीय संघटनों, रेलवे मजदूर संघों की फेडरेशनों, रेलवे केन्द्रीय लोक निर्माण कार्य विभाग, पत्तन तथा गोदी, कोयला तथा इस्पात उपक्रमों और सब राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के विचार आमंत्रित किए जायें और उन्हें सूचित किया जाय कि यदि वे इच्छुक हों तो समिति के समक्ष मौखिक साक्ष्य भी दे सकते हैं।

7. समिति को विभिन्न राज्य सरकारों/विभागों/संस्थाओं/व्यक्तियों से विधेयक पर 33 ज्ञापन / अभ्यावेदन प्राप्त हुए (परिशिष्ट तीन)।

8. 21 जून, 1968 को हुई अपनी तीसरी बैठक में समिति ने फैसला किया कि देश के विभिन्न प्रदेशों में जहां बड़ी संख्या में संविद् श्रमिक काम करते हैं, स्थल पर अध्ययन के लिए दौरे किए जायं ताकि संविद श्रमिक जिन परिस्थितियों में कार्य करते हैं वे उनको स्वयं देख कर ज्ञान प्राप्त कर सकें।

9. 27 अगस्त, 1968 को हुई अपनी पांचवीं बैठक में समिति ने फैसला किया कि स्थल पर अध्ययन करने के प्रयोजन से समिति को चार अध्ययन ग्रुपों में बांट दिया जाय और सितम्बर/अक्तूबर, 1968 के दौरान पश्चिमी बंगाल तथा बिहार, महाराष्ट्र तथा गोवा, मैसूर तथा मद्रास और आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा राज्यों में विभिन्न उद्योगों, पत्तनों, गोदियों, रेलवे स्थापनों आदि की यात्रा के लिए अध्ययन ग्रुप के यात्रा-कार्यक्रमों का अनुमोदन किया (परिशिष्ट चार)। अपनी यात्रा में, सदस्यों ने संविद श्रमिकों के कार्य की दशा देखी और विधेयक के उपबन्धों पर विभिन्न अधिकारियों और गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की।

10. समिति ने फैसला किया है कि उसके अध्ययन ग्रुपों द्वारा किये गये दौरों पर अध्ययन टिप्पण दोनों सभाओं के पटलों पर रखे जायें।

11. 20 और 22 जून, 26 से 28 सितम्बर और 23 नवम्बर, 1968 को हुई समिति की क्रमशः दूसरी, चौथी और छठी से नवीं बैठकों में उसने 12 पार्टियों द्वारा दिया गया साक्ष्य सुना (परिशिष्ट पांच)।

---

*भारत के असाधारण राजपत्र, भाग 2, खण्ड 2, दिनांक 31 जुलाई, 1967 में प्रकाशित।

12. समिति ने फैसला किया है कि उसके समक्ष दिया गया साक्ष्य छापा जाय और दोनों सभाओं के पटलों पर रखा जाय।

13. समिति का प्रतिवेदन लोक-सभा के पांचवें सत्र के प्रथम दिन तक पेश किया जाना था। चूंकि ऐसा सम्भव नहीं था इसलिए समिति ने 20 जून, 1968 की हुई अपनी दूसरी बैठक में फैसला किया कि उसका प्रतिवेदन पेश करने का समय छठे सत्र के दूसरे सप्ताह के प्रथम दिन तक बढ़ाने के लिये कहा जाय। आवश्यक प्रस्ताव सभा के समक्ष लाया गया और 22 जुलाई, 1968 को स्वीकृत हुआ। समिति ने यह समय सातवें सत्र के दूसरे सप्ताह के अन्तिम दिन तक अग्रेतर बढ़ाने के लिए कहने का फैसला किया जिसके लिए सभा ने 18 नवम्बर, 1968 को अनुमति दे दी।

14. समिति ने 6 से 8 जनवरी, 1969 तक हुई अपनी दसवीं से बारहवीं बैठकों में विधेयक पर खण्डवार विचार किया।

15. समिति ने 29 जनवरी, 1969 को अपने प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया।

16. विधेयक में प्रस्तावित मुख्य परिवर्तनों के विषय में समिति के विचार निम्नलिखित पैराग्राफों में विस्तार से दिये गये हैं।

17. **अधिनियम सूत्र** :—इसमें संशोधन औपचारिक स्वरूप का है।

18. **खण्ड 1.**—समिति का विचार है कि केन्द्रीय या राज्य सरकार को खण्ड 1 (5) के अधीन इस प्रश्न पर फैसला कि किसी संस्थापना में किया गया कार्य विरामी या आकस्मिक प्रकार का है केन्द्रीय या राज्य सलाहकार बोर्ड जो भी स्थिति हो, के परामर्श से ही करना चाहिये।

इसके अतिरिक्त, समिति खण्ड 1(5) के अधीन एक व्याख्या रखना चाहती है जिस का उद्देश्य यह है कि यदि किसी संस्थापना में एक कार्य पूर्वगामी बारह मासों में 120 दिन से अधिक समय तक किया जाता है या किसी कार्य के मौसमी होने के मामले में यह एक वर्ष में 60 दिन से अधिक समय तक किया जाता है तो किसी संस्थापना में ऐसा कार्य विरामी नहीं समझा जाना चाहिए।

तदनुसार इस खण्ड में संशोधन किया गया है।

इस खण्ड में अन्य संशोधन औपचारिक स्वरूप का है।

19. **खण्ड 2.**—इस खण्ड के उप-खण्ड (1) (ख) में, यह सुझाव दिया गया था कि हाल ही में मजूरी में हुई अत्यधिक वृद्धि के कारण पर्यवेक्षी पद पर काम करने वाले किसी कर्मकार के सम्बन्ध में मजूरी की सीमा 500 रुपये से बढ़ा कर 750 रुपये कर देना अधिक यथार्थवत् होगा।

प्रभारी मंत्री ने बताया कि पर्यवेक्षी पद पर काम करने वाले कर्मकार के सम्बन्ध में 500 रुपये की मजूरी की सीमा कई अन्य श्रम विधियों में निर्धारित है और कि विभिन्न श्रम विधियों में मजूरी की इस सीमा में वृद्धि करने का प्रश्न उनके मंत्रालय के विचाराधीन है। उन्होंने समिति को आश्वासन दिया कि वह यथासमय सब श्रम विधियों में उपयुक्त संशोधन करेंगे ताकि मजूरी की सीमा समान आधार पर हो।

20. **खण्ड 3.**—केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड में व्यापक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करने की दृष्टि से समिति का विचार है कि केन्द्रीय बोर्ड के, चेयरमैन और श्रम मुख्य आयुक्त (सी) को छोड़ कर, कम से कम 11 सदस्य होने चाहिएं और इसके अतिरिक्त, बोर्ड में कर्मकारों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नाम निर्देशित सदस्यों की संख्या मूल नियोजकों और ठेकेदारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामनिर्देशित सदस्यों की संख्या से कम नहीं होनी चाहिए।

इस खण्ड के उप-खण्ड (2) (ग) में तदनुसार संशोधन किया गया है।

21. **खण्ड 4.**—उपरोक्त खण्ड 3 में प्रस्तावित परिवर्तनों के अनुसार, इस खण्ड में भी यह उपबन्ध करने के लिए संशोधन किया गया है कि किसी राज्य सलाहकार बोर्ड में, चेयरमैन और श्रम आयुक्त को छोड़ कर, नौ से कम सदस्य नहीं होंगे और इस खण्ड में एक समवर्ती उपबन्ध किया गया है कि कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामनिर्देशित सदस्यों की संख्या बोर्ड में मूल नियोजकों और ठेकेदारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामनिर्देशित सदस्यों की संख्या से कम नहीं होगी।

22. खण्ड 12.—इस खण्ड के उप-खण्ड (2) में उपबन्ध है कि लाइसेंस देने वाले अधिकारी द्वारा किसी ठेकेदार के नाम जारी किये जाने वाले लाइसेंस में अन्य बातों के साथ-साथ संविद् श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजूरी के निर्धारण के लिए उपबन्ध करने हेतु शर्तें दी जायें। यह आग्रह किया गया था कि "न्यूनतम मजूरी" शब्दों का निश्चित आशय है। संविद् श्रमिकों के लिए युक्ति संगत मजूरी, जो कतिपय मामलों में आवश्यक हो, के भुगतान की व्यवस्था करने में किसी कठिनाई को दूर करने के लिए समिति ने उसमें प्रयुक्त "न्यूनतम" शब्द हटाने का फैसला किया है।

इस खण्ड के उप-खण्ड (2) में तदनुसार संशोधन कर दिया गया है।

23. खण्ड 28.—इस खण्ड के उप-खण्ड 2(घ) के अन्तर्गत जैसे यह मूल रूप में था, निरीक्षण कर्मचारी केवल मूल नियोजक के रिकार्ड को जब्त कर सकते थे या उसकी प्रतियां ले सकते थे। निरीक्षण कर्मचारियों को ठेकेदार के रिकार्ड को जब्त करने या उसकी प्रतियां लेने की शक्ति प्राप्त नहीं थी। समिति ने यह उपबन्ध करने के उद्देश्य से उप-खण्ड 2 (घ) में संशोधन कर दिया है कि मूल नियोजक के रिकार्ड के अलावा ठेकेदार का रिकार्ड भी जब्त किया जा सकता है।

इस खण्ड के उप-खण्ड 2(घ) में तदनुसार संशोधन किया गया है।

24. संयुक्त समिति सिफारिश करती है कि विधेयक को संशोधित रूप में पास किया जाय।

काशी नाथ पाण्डेय,
सभापति
संयुक्त समिति।

नई दिल्ली ;
29 जनवरी, 1969

विमति टिप्पण

एक

मैं उन लोगों में से हूं जिन्होंने भारत में संविद् श्रमिक पद्धति के उत्सादन के लिये उपयुक्त विधान बनाने का जोरदार समर्थन किया था । यह एक ऐसी पद्धति है जिसके अन्तर्गत समस्त भारत में काम कर रहे लाखों मजदूरों और कार्यालय कर्मचारियों को उचित मजूरी दिलाने और उनके कार्य की दशा सुधारने की आवश्यकता है । क्योंकि उनके पारिश्रमिक का बहुत सा भाग ठेकेदारों के नाम पर बेईमान बिचौलियों द्वारा ले लिया जाता है । सभ्य जगत में, जो समाजवाद का प्रचार करता हो, ऐसा अमानवीय शोषण सहन नहीं कर सकता । कुछ पिछड़े हुए क्षेत्रों में यह लूट अमानवीय बन जाती है और इसका कोई भी विरोध नहीं करता । भारत सरकार, जिसके अधीन सब से अधिक कर्मचारी हैं, गैर-सरकारी क्षेत्र के लिये आदर्श प्रस्तुत करने के बजाये स्वयं यह अत्याचार कर रही है मजदूरों के कुछ भाग के अमानवीय शोषण में सहायक हो रही है जो अपने कार्य के स्वरूप के कारण असंगठित और असंरक्षित हैं । उदाहरण के तौर पर, मैं रेलवे के $3\frac{1}{2}$ लाख "अनियत मजदूरों" का मामला बता सकता हूं जो निर्माण कार्य के लिये ठेकेदारों के द्वारा नियोजित हजारों मजदूरों के अलावा हैं । अनियत मजदूरों के मामले में रेलवे अधिकारी स्वयं ठेकेदारों का रवैया अपनाते हैं और उनको 1 से दस वर्ष तक बल्कि इससे भी अधिक अनिश्चित अवधि के लिये उन्हें काम पर लगाते हैं परन्तु उन्हें उन सभी सुविधाओं से वंचित रखते हैं जो नियत कर्मचारी को मिलती हैं । अपने अध्ययन दौरे के दौरान हम ऐसे कई कर्मचारियों से मिले । अन्य विभागों में भी ऐसे कई उदाहरण दिये जा सकते हैं ।

2. समस्या बहुत गहरी और जटिल है और इस विधान में जो उपबन्ध करने का विचार है वे किसी भी हालत में सन्तोषप्रद नहीं हैं । संयुक्त समिति के कई सदस्यों ने विधेयक के उपबन्धों में सुधार करने के लिये काफी प्रयत्न किया परन्तु असफल रहे । अतः निम्नलिखित आधार पर मैं संशोधित रूप में विधेयक से असहमति प्रकट करता हूं :—

(एक) यह एक ऐसा विधान है जिसका आशय संविद श्रमिक पद्धति को समाप्त करना नहीं है ;

(दो) "क्रमिक उत्सादन" के नाम पर यह विधान इस अमानवीय पद्धति को केवल विनियमित करता है ;

(तीन) यहां तक कि तथाकथित "विनियमन" से उन लाखों अभागे संविद श्रमिकों को कोई विशेष लाभ नहीं पहुंचेगा जो ऐसी परिस्थितियों के कारण इसका शिकार बनाये जाते हैं जो उनकी सामर्थ्य से परे होती हैं

(चार) इसमें इतना भी नहीं किया गया है कि सब से पहले उन अनियमितताओं को रोका जाये जो सरकारी विभागों में की जा रही हैं ।

3. यह सब ध्यान में रखते हुए मेरा यह विचार है कि जब यह विधान व्यवहार में लाया जायेगा तो यह व्यर्थ सिद्ध होगा । उचित यही होगा कि सरकार समस्त मामले पर फिर से विचार करे और पेश्तर इसके कि सभा इस विधान को पास करे इसमें उपयुक्त संशोधन करके इसे बिल्कुल नया रूप दिया जाना चाहिए ।

नई दिल्ली ;   के० आनन्द नम्बियार
14 फरवरी, 1969

दो

इस विधेयक में संविद श्रम के उत्सादन के बजाये इसके विनियमन पर अदिक बल दिया गया है । विधेयक के 35 खण्डों में से केवल खण्ड 10(1) स्पष्ट रूप से संविद श्रमिकों के नियोजन के निषेध के बारे में है ।

इस अधिकार पर भी इतनी शर्तें लगा दी गई हैं कि ससंविद् श्रम के निषेध को असम्भव सा बना दिया गया है ।

2. विधेयक के अन्तर्गत वे अनियत श्रमिक नहीं आते जिनकी संख्या केवल रेलवे विभाग में ही 3 लाख है और जिनकी सेवा की शर्तें किसी भी प्रकार संविद् श्रमिकों से अच्छी नहीं है ।

3. ऐसे स्थापनों में जिनमें केवल विरामी अथवा आकस्मिक स्वरूप का कार्य होता है, कार्य कर रहे कमकारों को जो संरक्षण देने का विचार है वह केन्द्रीय अथवा राज्य बोर्डों में सरकार से परामर्श करके दिया जायेगा, परन्तु यह भ्रामक है, क्योंकि इन सभी बोर्डों में सरकार, नियोजकों और ठेकेदारों को मिलाकर उतना बहुमत होगा। यह बात भी स्पष्ट नहीं की गई कि केन्द्रीय अथवा अन्य राज्य बोर्डों के परामर्श से इस बात का निश्चय किया जायेगा कि क्या कोई स्थापन बारहमासी किस्म का है अथवा नहीं ।

4. संविद श्रमिकों का नियोजन करने वाले स्थापनों के रजिस्ट्रीकरण, उन्हें लाइसेंस देने वाले अधिकारियों की नियुक्ति तथा ठेकेदारों को लाइसेंस देने की जटिल पद्धति से बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार फैलने की आशंका है।

5. संशोधित विधेयक के अन्तर्गत भी, मूल नियोजक संविद् श्रमिकों को काम पर लगा कर स्थायी कर्मचारियों को दी जाने वाली मजूरी से कम दर पर श्रमिकों को नियोजित कर सकता है और भविष्य निधि, न्यूनतम लाभ-बोनस और अवकाश तथा छुट्टियों, आवास आदि में बचत कर सकता है ।

6. और, ठेकेदारों द्वारा संविद् श्रमिकों को उनकी उचित मजूरी से वंचित रखने की सम्भावना पर कोई रोक नहीं लगाई गई है।

7. विधेयक के उपबन्धों का उल्लंघन करने पर विशेषकर मालिकों और ठेकेदारों द्वारा, जिन दण्डों का उपबन्ध किया गया है, वे अपर्याप्त हैं और वे इतने कठोर नहीं कि उनके भय से उपबन्धों का उल्लंघन न किया जाये ।

8. हमारी राय में विधेयक संविद् श्रम के उत्सादन के मुख्य उद्देश्य में असफल रहेगा ।

नई दिल्ली ;

17 फरवरी, 1969

देवेन सेन

रानेन सेन

तीन

इस विधेयक के उद्देश्य और इसके स्वरूप दोनों का ही मैं समर्थन नहीं कर सकता । विधेयक के उद्देश्य पर मेरी आपत्ति इसके दृष्टकोण के बारे में है। यह तो सही है कि श्रमिक जहां कहीं काम करते हैं वहां उनके साथ हो सकने वाले दुष्टाचार से उनकी रक्षा करने के लिए हर कदम उठाया जाना चाहिए और उनके नियोजन के सिलसिले में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उनका स्तर अच्छा रहे और उनके साथ अच्छा व्यवहार हो परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि संविद् श्रम का उत्सादन कर दिया जाय । वास्तव में, कुछ क्षेत्रों में संविद् श्रम का उत्सादन किया जाना चाहिए और कुछ अन्य क्षेत्रों में इसे सीमित किया जाना चाहिए, परन्तु कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां इसे प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए क्योंकि अर्थ व्यवस्था की कार्य कुशलता के लिए यह वांछनीय है और आवश्यक भी है।

2. संविद श्रम सम्बन्धी विचारधारा के बारे में काफी भ्रम पाया जाता है : एक तरफ तो संविद् श्रम के पूर्ण उत्सादन की मांग की जाती है—यद्यपि यह माना जाता है कि आरम्भ में अर्थ-व्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में प्रतिबन्ध लगा दिये जायें । यह दृष्टिकोण साम्यवादी विचारधारा की उपज है—जिसके अनुसार पूंजी और श्रमिकों के बीच किसी को भी, अर्थात् किसी भी बिचौलिये को घृणा से देखा जाता है, उसे बेकार समझा जाता है और इस प्रकार यह माना जाता है कि उसे हटा दिया जाना चाहिए। यह विचार पूर्णतः गलत है और इसे माना नहीं जा सकता ।

3. ऐसा प्रतीत होता है कि इस विधेयक को पेश करने में किसी हद तक यही विचारधारा काम कर रही है—क्योंकि इसके उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण के आरम्भ में यह कहा कहा गया है कि संविद् प्रणाली से कई प्रकार की बुराइयां पैदा होती हैं। इस बात को कहने का यह बड़ा अजीब सा तरीका है। वास्तव में, संविद् प्रणाली श्रम-विभाजन की प्रक्रिया का आवश्यक परिणाम है जो आर्थिक विकास के लिए बहुत जरूरी है । वास्तव में, हमारी अर्थ-व्यवस्था की वर्तमान पद्धति में उपक्रमियों को छोड़ कर प्रत्येक व्यक्ति संविदा-लाभ प्राप्त करता है और इस प्रकार ठेके पर काम करता है। वास्तव में, अपने श्रम द्वारा हम में से प्रत्येक व्यक्ति वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता में वृद्धि करता है। इसलिए यह विचार स्वीकार्य नहीं है कि किसी बिचौलिये की जरूरत नहीं है। ऐसे इरादे से और इस पृष्ठभूमि की दृष्टि से यह विधेयक पेश करने का प्रयास आरम्भ में ही विफल कर दिया जाना चाहिए ।

4. परन्तु दुर्भाग्यवश संविद् श्रम के बारे में एक अन्य विचारधारा भी है, अर्थात् किसी ठेकेदार द्वारा नियोजित श्रमिक जैसा कि विधेयक के खण्ड 2(ग) में है । सामान्यतया ऐसा विश्वास किया जाता है कि जब कभी ठेके पर श्रमिक रखे जाते हैं तो उनके कार्य की शर्तें नियमित श्रमिकों की अपेक्षा खराब होती हैं । अधिकांशत: मूल नियोजक मजूरी के बारे में और ठेकेदारों द्वारा नियोजित श्रमिकों की अन्य शर्तों के बारे में कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता ।

5. इस विचार से संविद श्रम पर वास्तविक आपत्ति यह है कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम औद्योगिक विवाद अधिनियम आदि जैसे श्रमिकों सम्बन्धी विभिन्न अधिनियमों के अधीन दायित्वों से बचने के लिए नियोजक बिचौलिए के जरिये ठेके पर श्रमिकों को रखता है । कभी कभी नियमित कर्मचारियों के विरुद्ध उपयोग के लिए ठेकेदारों को बीच में लाया जाता है ताकि उन के संगठन की शक्ति को तोड़ा जाय और उन्हें मजूरी बढ़ाने की मांग करने से रोका जाय ।

6. वास्तव में यह एक ऐसा मामला है जिसमें विधेयक में बुराई और अच्छाई को अलग-अलग किया जाना चाहिए । दो पार्टियों के बीच हुए करार से जान बूझ कर बचने के लिए जो संविद श्रम का उपयोग होता है उसका अविलम्ब उत्सादन किया जाना चाहिए । क्योंकि इस प्रकार का प्रयास किसी उद्योग विशेष में पूंजी और श्रमिकों दोनों के बीच स्वेच्छ से हुए करार का उल्लंघन है । उच्चतम न्यायालय द्वारा जो कसौटियां रखी गई हैं वे इस म मले में संगत हैं । वास्तव में विधेयक में उच्चतम न्यायालय के इस आशय का अध्याय एक के खण्ड 10 में उल्लेख करने का प्रयास किया जाना चाहिए था । उच्चतम न्यायालय द्वारा स्टेन्डर्ड वेकुअम रिफाइनिंग कम्पनी आफ इंडिया लिमिटेड बनाम उसके कर्मचारी के मामले में किय गये निर्णय में निर्धारित चार कसौटियां (1960 II आई० एल० एस०) इसके साथ है अर्थात किसी स्थापना में संविद श्रम के उत्पादन के लिए च रों शर्तों को पूर करना अनिवार्य है । विधेयक में इन चार कसौटियों का उल्लेख अलग से किया गया है जो गलत है और जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता ।

7. विद्वान न्यायाधीशों के निर्णय से उद्धत करना संगत होगा : "वर्तमान मामले में ऐसी कोई बात उत्पन्न ही नहीं होती और निर्णय के लिए केवल यह प्रश्न है कि क्या ऐसे काम के लिए जो निरन्तर चलने वाला है और जो हर रोज होना ही है और जो शोधन कारखाने के काम के लिए आनुषंगिक और आवश्यक है और जो काफी कर्मचारियों को पूरे समय के लिए नियोजित करने के लिए पर्याप्त है और अधिकांश कम्पनियों में नियमित श्रमिकों द्वारा किया जा रहा है उसे ठेकेदारों को किये जाने की अनुमति दी जानी चाहिए ।" उच्चतम न्यायालय इस प्रकार के ठेके के काम का उत्पादन करना चाहता था न कि इस सिद्धान्त को हर स्थान पर लागू करना, जो भारतीय अर्थ-व्यवस्था के हित के प्रतिकूल है ।

8. इस प्रश्न की सामान्य रूप से अर्थ-व्यवस्था के और विशेष रूप से भारतीय अर्थ-वव्यवस्था के प्रसंग में जांच करने की जरूरत है । संसार के सभी देशों की अर्थ-व्यवस्था के कार्य-चालन के विभिन्न अध्ययनों से प्रकट हुआ है कि संविद श्रम से कुशलता बढ़ती है लागत खर्च कम होता है प्रशासन में और लेखा रखने की प्रक्रियाओं में व्यवस्था रहती है प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों का ज्यादा उपयोग होत है श्रेष्ठ तकनीकी जानक री वाले बाहर के विशेषज्ञ उपलब्ध होते हैं श्रम शक्ति में स्थायित्व पैदा होता है और गैर हाजिरी के कारण क्षति नहीं होती ।

9. ऐसा हो सकता है कि कोई उपक्रमी अपने प्रशासनिक गुणों को अधिक महत्वपूर्ण क म में केन्द्रित करने की दृष्टि से कुछ काम किन्हीं अन्य व्यक्ति को सौंपना चाहे और उस मामले में यह श्रम विभाजन वांछनीय है । अन्यथा कुछ प्रकार के कार्य के लिए एक विशेष प्रकार के विशेषज्ञों की कुछ ही समय के लिए जरूरत हो सकती है । ऐसे मामलों में ठेके के आधार पर किया गया कार्य श्रमिकों और उपभोक्ताओं दोनों ही के लिए उपयोगी हो सकता है । उजरती काम पर आधारित मजूरी पद्धति भी एक भिन्न दृष्टि से संविद श्रम है परन्तु वह है उसी प्रकार का कभी-कभी कुछ प्रकार के क म के लिए उसके लिए अपेक्षित वास्तविक श्रमिकों की अपेक्षा निरीक्षण श्रमिकों की अधिक जरूरत होती है । उस मामले में संविद श्रम अधिक उपयोगी हो सकता है । इसलिए ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिन में संविद श्रम उपयोगी होता है---एक आवश्यकता होती है बुर ई नहीं । उस मामले में आर्थिक संगठन को इसके लिए केवल अनुमति ही नहीं देनी चाहिए बल्कि व्यापक आधार पर इसे लागू करने के हेतु प्रोत्साहन भी देना चाहिए ।

10. कभी-कभी संविद श्रम के कारण हम वस्तुएं और सेवाएं कम लागत पर प्राप्त कर सकते हैं जो अन्यथा सम्भव नहीं है । यदि संविद श्रम के कारण उपभोक्ताओं को कम लागत का लाभ मिलता है । या यदि इसके कारण हम बहुत संख्या में पुरुषों और महिलाओं को रोजगार दिला सकते हैं या यदि इससे हम सम्बद्ध उद्योग का विकास कर सकते हैं तो इसे उपयोगी समझा जाना चाहिए । यह बात तो समझ में आने वाली है कि सभी प्रकार के संविद श्रम का उत्पादन कर दिये जाने पर

मूल नियोजक सभी प्रकार के कामों के लिए स्थायी श्रमिकों को काम पर लगाने के लिए मजबूर हो सकता है और इस प्रकार उसकी लगात बढ़ जायगी । परन्तु इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप यदि उसका एकाधिकार है तो सम्बद्ध उद्योग का उत्पादन सीमित हो सकता है रोजगार के अवसर कम हो सकते हैं, उपभोक्ताओं के लिए कीमतें अधिक हो सकती हैं या यदि सम्बद्ध उद्योग को स्पर्धा का सामना करना पड़े तो वह संकट ग्रस्त हो जाता है और बहुत जल्द उसे बन्द करना पड़ता है । ऐसे मामलों में संविद श्रम का उत्सादन केवल हानिकार ही नहीं विनाशकारी भी है । संविद श्रम का समाप्त करना तभी सहायक हो सकता है यदि इससे अत्याधिक लाभों में कमी हो जाय या ठेकेदारों के अत्याधिक फायदे कम हो जायें और साथ ही साथ रोजगार के अवसर बढ़ने में रुकावट न हो और उत्पदान में बाधा न आये ।

11. भारत में संगठित उद्योग श्रमिकों को कई रियातें देने के लिए किसी हद तक इस कारण भी सहमत हो जाते हैं कि भारत की अर्थ-व्यवस्था के विदेशी प्रतियोगिता से अलग-थलग होने के कारण श्रम और पूंजी दोनों में ही एकाधिकार की स्थिति उत्पन्न हो गई है । इसी स्थिति में रियायतें दी जाती हैं जो उपभोक्ता के हितों के प्रतिकूल होती हैं । इससे अर्थव्यवस्था अनम्य हो जाती है और अर्थ-व्यवस्था के विकास की गति धीमी पड़ जाती है ।

12. चूंकि भारत में अर्थ व्यवस्था विकासोन्मुख है इस लिए यह सम्भव है कि उत्पादन की तकनीक में तेजी से परिवर्तन हों । उद्योगों को उत्पादन में तेजी से होने वाले परिवर्तनों के अनुसार अपने आपको बदलने के समर्थ बनाने की दृष्टि से यह वांछनीय नहीं कि किसी उद्योग को किसी शिकंजे में जकड़ दिया जाये । अतः इस समय संविद श्रम का पूरे रूप से उत्सादन करना अथवा उसके प्रयोग पर कई प्रतिबन्ध लगाना वांछनीय नहीं है । कभी कभी मजदूरों को किसी विशेष मौसम में जैसे बरसात अथवा खरीफ के मौसम में खेती का काम मिल जाता है परन्तु यदि रबी के मौसम में अथवा ग्रीष्म ऋतु में वे बेकार हैं तो कुछ दिनों के लिये उन्हें काम की आवश्यकता होगी । कभी-कभी मजदूर किसी विशेष कारखाने के लिये सदैव कार्य करना नहीं चाहते, जबकि कई बार किसी ठेके के कार्य के लिये अपने परिवार के किसी सदस्य को भेज सकता है परन्तु उसी सदस्य को सदैव नहीं भेज सकता । ऐसे मामलों में स्वयं मजदूर के लिये संविद श्रम सुविधाजनक हैं । कभी-कभी उपभोक्ता को सस्ती और कार्य पटु सेवा मिल जाती है—केवल तभी जब संविद पद्धति चल रही हो— अन्यथा श्रम-विभाजन सम्भव नहीं । निर्माण कार्य, माल लेना परिवहन आदि ऐसे कार्य हैं जिनको संविद श्रम द्वारा सुविधा से, सस्ता और कार्यकुशलता से किया जा सकता है ।

13. अतः यह मानना आवश्यक है (क) कि संविद श्रम न केवल आवश्यक हैं बल्कि अर्थ-व्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में निश्चय ही अच्छा है और अतः उसे प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए; (ख) कुछ मामलों में इसके दुरुपयोग होने की सम्भावना है, और उस मामले में मैं उसका उत्सादन किया जाना चाहिए जहां केवल दुरुपयोग होगा किसी अच्छाई की सम्भावना नहीं है; और (ग) जहां दोनों अच्छाई और बुराई की सम्भावना है वहां इसे कम करना चाहिए । इसके उद्देश्यों और कारणों के विवरण में इन तथ्यों को स्पष्ट न बताने से, वर्तमान रूप में इसके गलत प्रयोग की सम्भावना है ।

14. अब मैं विधेयक के आवतक भाग की ओर आता हूं । इस सम्बन्ध में मैं (क) स्थापना और ठेकेदार की परिभाषा, (ख) सरकार को दी गई शक्तियों; और (ग) मजूरी भुगतान और सुविधाओं को मुहैया करने के बारे में ठेकेदारों और मुख्य नियोजक को जिम्मेवार ठहराने से सहमत नहीं हूं ।

15. भारतीय श्रम सम्मेलन के 19वें अधिवेशन में पहले संविद श्रम का प्रश्न उठाया गया था । इस सम्मेलन के निष्कर्ष का अवलोकन करने के काबिल हैं । इसमें सुझाव दिया गया कि जहां तक सम्भव हो स्थापनों का नियमित कार्य मुख्य नियोजक द्वारा सीधे भर्ती कर कर्मचारियों से करवाना चाहिए और यह कि जहां कार्य बारहमासी है रोज होना चाहिए, आनुषांगिक है और कारखानों के कार्य के लिये आवश्यक है, जहां कार्य काफी संख्या में कर्मचारियों को नियोजित करने के लिये पर्याप्त है और अधिकतर नियमित कर्मचारियों द्वारा करवाया जाता है, वहां संविद श्रमिक नियोजित नहीं किये जाने चाहिएं । जहां यह सम्भव नहीं वहां साप्ताहिक छुट्टी और समयोपरि भत्ते के लिये मानक निर्धारित किये जाने चाहिएं । आवश्यक सुविधाओं को मुहैया करने के लिये भी व्यवस्था की जानी चाहिए । वास्तव में विधेयक में यह भावना रहनी चाहिए थी; इसके बजाये यह अपने क्षेत्राधिकार से परे चला गया है ।

यदि 19वें अधिवेशन में बताये गये उद्देश्य को ध्यान में रखा जाय तो विधेयक के खण्ड 5(ङ) में संशोधन कर उस में "कोई विधि, कार्य अथवा अन्य ठेके का काम जो विरामी अथवा आकस्मिक किस्म का है" शामिल किया जाना चाहिए था ।

16. जहां तक संविद श्रम के प्रयोग पर लगाये गये प्रतिबन्धों का सम्बन्ध है, ठेकेदारों की परिभाषा महत्वपूर्ण है। अधिनियम में जिस प्रकार की सुविधाओं को लागू करने का प्रयत्न किया गया है वे तभी आवश्यक हैं जब मजदूर किसी लम्बी अवधि

के लिये नियोजित किये जाते हैं। इसे परिभाषा में स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए था परन्तु दुर्भाग्यवश विधेयक में उन सभी ठेकेदारों को शामिल करने का प्रयत्न किया गया है जिन्होंने पिछले वर्ष में 20 से अधिक कर्मचारी नियोजित किये हों, चाहें वे एक ही दिन के लिये किये गये हों। यह सिद्धान्त रूप से तथा कार्यान्वित करने की दृष्टि से बिलकुल गलत है। वास्तव में जबकि सभी कारखाने सम्बन्धी कानून उन सभी स्थायी मालिकों पर लागू होते हैं जिनके अधीन 20 से अधिक कर्मचारी हों, तो उस ठेकेदार पर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए जो 60 अथवा 90 से अधिक दिन 50 से अधिक कर्मचारी नियुक्त करता है——अथवा अधिनियम किसी ऐसे स्थापन पर लागू किया जाना चाहिए था पिछले छः महीनों में औसतन प्रति दिन 20 से अधिक संविद श्रमिक नियोजित करता है।

17. लादने, उतारने और परिवहन का कार्य भी संविद श्रमिकों द्वारा किया जाना चाहिए। जो कार्य किसी एक स्थान पर नहीं किया जा सकता अथवा जिसे निर्माण कार्य से पृथक किया जा सकता है, अथवा जो उसकी अनिश्चितता और अनियमितता के कारण कारखाने के अनुशासन के अन्तर्गत नहीं रखा जा सकता, उस कार्य पर इस अधिनियम में प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाना चाहिए। लादने-उतारने का कार्य भी इसी किस्म का है और अतः उसे इस अधिनियम के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा जाना चाहिए।

18. दो ऐजेंसियों——इस विधेयक में मुख्य नियोजक तथा ठेकेदार——पर जिम्मेवारी डालना भी गलत है। मजूरी के भुगतान आदि के लिये मुख्य नियोजक तथा ठेकेदार को जबकि ठेकेदार रजिस्टर्ड हो और लाइसेंस प्राप्त हो, जिम्मेवारी देना गलत है। उनमें से किसी एक को जिम्मेवार बनाना अच्छा रहेगा। मुख्य नियोजक को केवल तभी उत्तरदायी बनाया जा सकता है जब ठेकेदारों को कानून के शिकंजे में नहीं लाया जा सकता। मुख्य नियोजक को तभी उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए जब ठेकेदार को लाइसेंस न दिया गया हो; यदि ठेकेदार रजिस्टर्ड हैं और उसके पास लाइसेंस है, तो मुख्य नियोजक को उत्तरदायी न बनाया जाये।

19. जलपान गृह, पाखाने, पीने के पानी आदि की व्यवस्था करने की जिम्मेवारी के सम्बन्ध में भी उनमें से किसी एक को उत्तरदायी बनाया जाये, और उसका निर्णय सलाहकार परिषद् द्वारा किया जाना चाहिए। कभी कभी मुख्य नियोजक को उत्तरदायी बनाना ही अच्छा होगा; और कभी कभी ठेकेदार को ठेके की शर्तों में स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए कि किसके लिये कौन उत्तरदायी है। और कुछ मामलों में सम्बद्ध सरकार को भी उनमें से किसी एक को उत्तरदायी बनाने के लिये तैयार रहना चाहिए।

20. मजूरी के भुगतान तथा अन्य सुविधाओं को मुहैया करने के लिये मुख्य नियोजक और ठेकेदारों में से किसी एक को जिम्मेवार ठहराने के सम्बन्ध में, अच्छा यही होता यदि ठेकेदार की परिभाषा स्पष्ट कर दी जाती। वास्तव में, ठेकेदार को ऐसी जिम्मेवारी तभी दी जानी चाहिए जब वह स्वतन्त्र व्यवसायी हो, काम के ब्यौरे के सम्बन्ध में बिना किसी का नियंत्रण स्वीकार किये अन्य व्यक्तियों के लिये विशेष कार्य करता हो। जबकि किसी औद्योगिक स्थापन के मालिक, कब्जाधारी अथवा प्रबन्धक द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से नियोजित कर्मचारियों को सहायता देने के लिये, औद्योगिक न्यायालयों, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया है कि जहां मुख्य नियोजक का कर्मचारी के ऊपर नियंत्रण है और उसकी देखरेख में है, तो कर्मचारी को मुख्य नियोजक के अधीन समझा जाना चाहिए, जिस से कि उसे कारखाना अधिनियम और औद्योगिक विवाद अधिनियमों का लाभ मिल सके। इस प्रकार के कर्मकारों के लिये मुख्य नियोजक को उत्तरदायी बनाया जाय। परन्तु अधिनियम को दोनों का ही पक्ष नहीं लेना चाहिये जिस से कि कई बार ऐसा लगे कि वह किसी पक्ष का भी समर्थक नहीं है।

21. इस विधेयक में समता का ध्यान न रखने की भी एक भारी गलती की गई है। सभी लोग जानते हैं कि सम्भवतः गैर-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की तुलना में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम भारी संख्या में संविद श्रमिक नियोजित करते हैं। ऐसी परिस्थिति में खण्ड 10 (1) और 10 (2) या 5 (ख) या 31 के अन्तर्गत (विशेष मामलों में छूट देने की शक्ति) सम्बन्धित सरकारों के हाथों में शक्ति दे देना सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को विशेष सुविधा देने के बराबर होगा। ऐसी शक्तियां केवल सार्वजनिक प्रयोजन के लिए ही दी जा सकती हैं और यदि किसी सरकारी पक्ष को भेदभाव पूर्ण बर्ताव मालूम है तो उसे अपनी तकलीफों को दूर करने के लिए न्यायालय के पास जाने का अवसर मिलना चाहिए। खेद की बात है कि असंतुष्ट पक्ष को इस प्रकार का मूलभूत अधिकार इस विधेयक में नहीं दिया गया है। विधेयक के खण्ड 10 (2) में दी व्याख्या के सम्बन्ध में न्यायिक प्राधिकारी से अपील करने की अनुमति दी जानी चाहिए थी।

नई दिल्ली;

18 फरवरी, 1969।

आर० के० अमीन

चार

मुझे संदेह है कि प्रवर समिति ने विधेयक को जो रूप दिया है उससे इस विधेयक के जिसमें संविद श्रम की प्रथा का धीरे-धीरे उत्सादन करने तथा संविद श्रमिकों की सेवाशर्तों को सुधारने का उपबन्ध किया गया है, उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में बताये उद्देश्यों को पूरा किया जा सकेगा। स्टेन्डर्ड वेकुश्रम रिफाईनिंग कम्पनी श्राफ इंडिया लि० बनाम उसके कर्मचारी, 1960 के मामलों में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये निर्णय तथा संविद् श्रमिकों की प्रथा के उत्सादन के लिए विभिन्न भारतीय श्रम सम्मेलनों में बार-बार उठाइ गई मांग इस विधेयक के पेश किये जाने का मुख्य कारण हैं। उच्चतम न्यायालय ने अपना निर्णय उस समय दिया था जब संविद श्रमिकों की प्रथा को विनियमित करने के लिए कोई कानूनी उपबन्ध नहीं था। उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि कुछ कार्य क्षेत्र ऐसे हैं जिनसे संविद श्रमिकों की प्रथा एकदम हटा ली जानी चाहिए। पर निर्णय के पीछे जो सिद्धान्त था उसमें सुझाया गया था कि जितनी-जल्दी इस घृणोत्पादक प्रथा को हटा लिया जाये उतना ही देश तथा मजदूर वर्ग के लिए अच्छा होगा अतः यह आशा करना स्वाभाविक ही है कि विधेयक ऐसे उपबन्धों के साथ पास किया जायेगा कि जिस से उच्चतम न्यायालय द्वारा बताये संरक्षण भी अधिक संरक्षण संविद श्रमिकों को मिल सके। पर विधेयक के विभिन्न खंडों से पता चलता है कि बात इसके विपरीत हुई है और यह विधेयक संविद श्रम की प्रथा के उत्सादन के लिए कारगर कानूनी हथियार सिद्ध होने के बजाय भ्रान्तिमय तथा असंगत हो गया है। अतः यह कहा जा सकता है कि संविद श्रम की प्रथा का उन कार्य क्षेत्रों में भी उत्सादन नही किया गया है जिनका उल्लेख उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में किया था अर्थात उन कार्य क्षेत्रों में जिनमें नियमित रूप से रखे गये श्रमिकों से काम लिया जाता है।

2. मजदूर संघों के अधिकांश प्रतिनिधियों ने, जिन्हें समिति ने बुलाकर अपने सामने साक्ष्य लिया यह मांग की कि संविद श्रम की प्रथा का पूर्ण रूप से उत्सादन कर दिया जाना चाहिए। संविद श्रम की प्रथा से मजदूरों का शोषण तो होता ही है पर अर्थ व्यवस्था का भी कुछ लोगों के फायदे के लिए शोषण होता है। निर्माण कार्य पर खर्च होने वाले धन का अधिकांश कुछ लोगों के हाथ में चला जाता है और मजदूरों को लाभ नहीं पहुंचता तथा उनके कार्य का कम मूल्यांकन किया जाता है। अतः इस समस्या का एक मात्र हल यही है कि संविद श्रम की प्रथा का पूर्ण रूपेण उत्सादन कर दिया जाये, लेकिन इस विधेयक में ऐसा उपबन्ध नहीं रखा गया है।

3. जहां तक इस विधेयक के कुछ उपबन्धों का सम्बन्ध है, 20 या उस से अधिक कर्मकारों को काम पर लगाने वाले स्थापनों पर इस विधेयक का लागू होना खण्ड 1 (4) (क) द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। इसके फलस्वरूप अनेक ऐसे संगठन जिनमें इस से कम संख्या में कर्मकार लगे होंगे, इस उपबन्ध से छूट पा जायेंगे और सिद्धान्तहीन नियोजकों को मुख्य संगठन की ऐसी छोटी छोटी इकाइयाँ, जिनमें 20 मजदूर लगे हुए हों, बनाने का मौका मिल जायेगा इसके अलावा खण्ड 1 (5) के अन्तर्गत उन कार्य-क्षेत्रों पर इस विधेयक का लागू होना प्रतिबन्धित किया गया है जिनमें विरामी तथा आकस्मिक ढंग का काम होता है। कौन सा काम विरामी तथा आकस्मिक ढंग का समझा जायेगा इसकी परिभाषा देने के लिए जो व्याख्या दी गई है, उस से यह बात स्पष्ट नहीं हो सकेगी कि विधेयक किन पर लागू होगा और किन पर नहीं। सलाहकार बोर्डों से सम्बन्धित अध्यय में श्रमिकों के प्रतिनिधियों की संख्या अन्य पक्षों के प्रतिनिधियों के बराबर ही रखी गई है। चूंकि यह विधेयक संविद श्रमिकों तथा उनकी प्रथा के बारे में है इसलिए उचित यह था कि इस बोर्ड में श्रमिकों के प्रतिनिधियों का बहुमत रखा जाता।

4. पहली बार ही इस प्रकार के कानून में कर्म कारों की परिभाषा बाह्य कार्मिक दी गई है, खण्ड 2 (।) (ग) 'बाह्य कार्मिक' जो विशद परिभाषा दी गई है उस से उन असंख्य श्रमिकों पर इस विधेयक के लागू होने में बाधा पड़ जायेगी जो कि बीड़ी, सोना, जेवरात, वस्त्रनिर्माण आदि जैसे उद्योगों में जिनमें "मुख्य नियोजक द्वारा या उसकी ओर से वस्तुएं या सामग्री ठीक करने, साफ करने, धोने, परिवर्तित करने, अलंकृत करने, अन्तिम रूप देने "मरम्मत करने, या अनुकूलित करने आदि के लिए दिये जाते हैं" नियोजित हैं। अध्ययन दौरा करते समय जब हमने उन बीड़ी कर्मकारों का जो किसी संविद् प्रथा के अन्तर्गत नियोजित किये जाते हैं और जिन की मजूरी तथा अन्य रहन-सहन की स्थिति सबसे बुरी है. दयनीय अवस्था को देखा तो हमें बहुत धक्का पहुंचा। मुझे यह देख कर खेद हुआ कि इस विधेयक से उन लोगों को कोई राहत नहीं मिल सकेगी। खण्ड 10 में सरकार ने संविद श्रम प्रथा का उत्सादन करने के लिए एक पक्षीय शक्ति अपने हाथ में रखी है और उसका प्रयोग वह अलग अलग परिस्थितियों में अपनी इच्छानुसार करेगी। संक्षेप में इस विधेयक के अन्य खंडों में जो कुछ व्यवस्था की गई है वह इस खण्ड द्वारा वापस लेली गई है। जब कि यह खण्ड पूरी तरह नहीं हटाया जायेगा तब तक उन श्रमकों के लिए जिनके हित में यह विधेयक बनाया गया है, इसका कोई लाभ नहीं होगा।

5. अन्त में, इस विधेयक में विभिन्न खटकने वाले खण्डों के परिणामस्वरूप सरकार न तो संविद श्रम प्रथा का उत्सादन कर सकेगी और न उसका विनियमन कर सकेगी। इस के अलावा मुझे आशंका है कि इसके परिणामस्वरुप मुकदमेंबाजी बढ़ेगी क्योंकि अनेक वाक्यांश तथा शब्द ऐसे हैं जिनके विभिन्न अर्थ तथा अभिप्राय निकाले जायेंगे। चूंकि श्रम न्यायाधिकरण तथा न्यायालयों की पूरी पूरी व्यवस्था नहीं रखी गई है इस लिए मुकदमेंबाजी से लाभ उन धनी नियोजकों को ही पहुंचेगा जो अधिकांशतः ठेकेदारों हैं। अतः इसका अन्तिम परिणाम यही होगा कि इस विधेयक से उन श्रमिकों की, जो संविद श्रम प्रथा का उत्सादन चाहते हैं, आकांक्षाएं तथा आशाएं पूरी न हो सकेंगी औरउस से अनेक संभ्रान्तियां पैदा होंगी।

नई दिल्ली;

20 फरवरी, 1969

समरेन्द्र कुन्डू

पाँच

विभिन्न संगठनों, मजदूर संघों, फेडरेशनों, रेलवे, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, पत्तनों और गोदियों, कोयला तथा इस्पात उपक्रमों द्वारा प्रस्तुत किये गये सभी ज्ञापनों/अभ्यावेदनों को देखने पर और उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश राज्यों में संविद् श्रम की स्थिति का वास्तविक अध्ययन करने पर हमारी राय है कि संविद् प्रणाली के अनुसार काम कर रहे श्रमिकों की स्थिति बहुत असन्तोषजनक है। कुछ मामलों में, मजदूरों, विशेषकर महिला मजदूरों को 8 से 10 घण्टे से अधिक समय तक काम करने पर भी प्रति दिन 2 रुपये भी नहीं मिलते हैं। कुछ स्थापनों में कैंटीन, निवास स्थान, चिकित्सा सेवा और पीने के पानी का प्रबन्ध असन्तोषजनक है।

2. यह सही है कि कुछ प्रकार के काम, विशेषकर माल लादने और उतारने का काम या किसी विशेष मौसम में होने वाला अन्य काम मात्रा में एक समान नहीं होता, प्रति दिन, प्रति सप्ताह और प्रति मास उसकी मात्रा अलग अलग होती है जिसके कारण ठेकेदार श्रमिकों का नियोजन आवश्यक होता है। सरकारी या सार्वजनिक उपक्रम या अन्य स्थापन कुछ निश्चित संख्या में स्थायी रूप से श्रमिकों को नहीं रख सकते क्योंकि कई कई दिन तक या सप्ताहों तक उनके लिए काम ही नहीं होगा। परन्तु यह देखा गया है कि भवनों या अन्य स्थापनों के रख-रखाव के काम के लिए भी ठेके पर श्रमिक रखे जाते हैं : निर्माण-कार्य के लिए, सफेदी के काम के लिए और रख-रखाव के अन्य कामों के लिए भी ठेके पर श्रमिक रखे जाते हैं। यह वांछनीय है कि रख-रखाव के कामों के लिए संविद् श्रम प्रणाली पूर्णतः समाप्त कर दी जाये और तुरन्त ही उन कामों के लिए स्थायी श्रमिक रखे जांय। स्थायी मजदूरों तथा संविद् श्रम प्रथा के अन्तर्गत काम करने वाले मजदूरों को जो वेतन तथा सुविधाएं उपलब्ध हैं उनमें असमानता इतनी अधिक तथा स्पष्ट है कि लोक हित में संविद् श्रम प्रथा का उत्सादन करना आवश्यक तथा वांछनीय है। अर्थ व्यवस्था का महत्व संविद् श्रमिक नियोजित करने वाले सरकार या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों या अन्य स्थापनों से अधिक नहीं होना चाहिए। इस समस्या पर मानवीय दृष्टिकोण से विचार किया जाना चाहिए।

3. संविद् श्रम प्रथा केवल उन्हीं स्थापनों में चालू रखी जानी चाहिए जिनमें यदि स्थायी श्रमिक नियोजित हों तो उन्हें विरामी या मौसमी ढंग का काम होने के कारण एक लम्बे समय तक बेरोजगार रहना पड़ता है। सरकार को गम्भीरता के साथ ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि मजदूरों को स्थायी तौर पर लगाया जाये, चाहे उसके फलस्वरूप सरकार को अधिक लागत ही पड़े और यह प्रथा केवल उन्हीं स्थानों पर जारी रखी जाये जहां ऐसा करना अत्यन्त आवश्यक हो।

4. अधिनियम के उपबन्ध इन पर लागू हैं—(क) हर स्थापन पर जिसमें संविद श्रमिक के रूप में 20 या उससे अधिक कर्मकार नियोजित हों या पिछले 12 महीनों में किसी दिन नियोजित रहे हों; (ख) हर ठेकेदार पर जो 20 या उससे अधिक कर्मकारों को नियोजित करता हो या उसने पिछले 12 महीनों में किसी दिन 20 या उससे अधिक कर्मकार नियोजित किये हों। इस बात को ध्यान में रख कर कि ठेकेदार द्वारा कर्मकारों की उपस्थिति नामावली किस प्रकार रखी जाती है, कर्मकारों की संख्या 20 से घटाकर 10 कर देना उचित रहेगा ताकि संविद् श्रम प्रथा का छोटे से छोटे स्थापना में भी उत्सादन किया जा सके।

5. इसके अतिरिक्त, धारा 1(5) (ख) के स्पष्टीकरण के अनुसार किसी भी स्थापन में किये गये काम को विरामी प्रकार का नहीं समझा जायेगा : यदि वह पिछले 12 महीनों में 120 से अधिक दिमनों तक किया गया हो या (दो) यदि वह मौसमी हो और एक वर्ष में 60 से अधिक दिन किया गया हो।

6. हम सुझाव देते हैं कि उपर्युक्त उप-पैरा (I) में 120 दिन की संख्या को घटा कर 90 दिन कर दिया जायें और उप-पैरा (II) में इसे 60 दिन से कम कर 30 दिन कर दिया जाना चाहिये।

7. खण्ड 2 में, यह वांछनीय है कि, हाल ही में मजूरी में एक दम बढोतरी के कारण, पर्यवेक्षी रूप में कार्य कर रहे कर्मचारियों की मजूरी सीमा 500 रु० से बढ़ा कर 750 रुपये कर दी जानी चाहिए। सरकार का यह कहना कि विभिन्न श्रम विधियों में मजूरी की सीमा को बढ़ाने का प्रश्न पहले ही मंत्रालय के बिचाराधीन है विश्वासोत्पादक नहा है। नये विधान में वह कार्य आरम्भ किया जा सकता था और भावी श्रम विधियों में आगे इसका अनुकरण किया जा सकता था।

8. खण्ड 15 में, यह बांछनीय है कि अपीलीय अधिकारी के पास कानूनी योग्यता, न्यायिक कार्य में प्रशिक्षण हो तथा इसका मानवीय दृष्टिकोण हो। वह निरपेक्ष, कानूनी और निष्पक्ष ढंग से निर्णय ले सके। उसका दृष्टिकोण विभागीय होने के बजाये कानूनी होना चाहिए। अतः यह वांछनीय होगा कि अपीलीय अधिकारी सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीशों अथवा अन्य न्यायिक अधिकारियों में से नियुक्त किया जाये।

9. खण्ड 26 में, शिकायत पेश करने का अधिकार निरीक्षक को दिया गया है अथवा उसके मंजूरी दिये जाने पर शिकायत की जा सकती है। बास्तव में शिकायत करने का अधिकार मजदूर संघों के कार्यकर्ताओं को भी मिलना चाहिए और सम्बद्ध अधिकारी

को अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन के सम्बन्ध में शिकायत करने के उनके अधिकार पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाना चाहिए। यह भी वांछनीय है कि धारा 26 में शिकायत करने की समय-सीमा को बढ़ा कर छः मास कर देना चाहिए चूंकि यह सम्भव है कि अधिनियम के उपबन्धों के कुछ उल्लंघनों का तीन मास के पश्चात् ही पता चले।

10. विशेष परिस्थितियों में स्थापनों पर इस अधिनियम के उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देने के लिये धारा 31 के अन्तर्गत सरकार को विस्तृत अधिकार दिये गये हैं और सम्पूर्ण मामला सम्बद्ध सरकार की इच्छा अथवा स्वविवेक पर छोड़ दिया गया है। आपात स्थिति अथवा किसी अन्य गम्भीर परिस्थिति में, अनियन्त्रित तथा अविनियामित अधिकार प्राप्त होने के कारण सम्बद्ध सरकार द्वारा इस विधि के इस उपबन्ध का दुरुपयोग किया जा सकता है। कोई कसौटी निर्धारित की जानी चाहिए और इस विधि के इस उपबन्ध का दुरुपयोग रोकने के लिये और उन परिस्थितियों का विशेष रूप से उल्लेख होना चाहिए जिनमें कि इस धारा का प्रयोग किया जायेगा।

नई दिल्ली ;

22 फरवरी, 1969

श्रीचन्द गोयल

हुकम चन्द कछवाय

प्रेम मनोहर

रा० स्व० विद्यार्थी

संविद श्रमिक (विनियमन और उत्सादन) विधेयक, 1967

खंडो का क्रम

अध्याय 1

प्रारम्भिक

खण्ड

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारम्भ और लागू होना।
2. परिभाषाएं।

अध्याय 2

सलाहकार बोर्ड

3. केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड।
4. राज्य सलाहकार बोर्ड।
5. समितियां गठित करने की शक्ति।

अध्याय 3

संविद श्रमिकों को नियोजित करने वाले स्थापनों का रजिस्ट्रीकरण

6. रजिस्ट्रीकर्ता आफ़िसरों की नियुक्ति।
7. कतिपय स्थापनों का रजिस्ट्रीकरण।
8. कतिपय मामलों में रजिस्ट्रीकरण का प्रतिसंहरण।
9. अरजिस्ट्रीकरण का प्रभाव।
10. संविद् श्रमिकों के नियोजन का प्रतिषेध।

अध्याय 4

ठेकेदारों का अनुज्ञापन

11. अनुज्ञापक आफ़िसरों की नियुक्ति।
12. ठकेदारों का अनुज्ञापन।
13. अनुज्ञप्तियों का अनुदत्त किया जाना।
14. अनुज्ञप्तियों का प्रतिसंहरण, निलम्बन और संशोधन।
15. अपील।

अध्याय 5

संविद् श्रमिकों का कल्याण और स्वास्थ्य

16. कैन्टीनें ।
17. विश्राम-कक्ष ।
18. अन्य सुविधाएं ।
19. प्राथमिक उपचार की सुविधाएं ।
20. कतिपय मामलों में प्रधान नियोजक का दायित्व ।
21. मजदूरी का संदाय करने का उत्तरदायित्व ।

अध्याय 6

शास्तियां और प्रक्रिया

22. बाधाएं ।
23. संविद् श्रमिकों के नियोजन के सम्बन्ध में उपबन्धों का उल्लंघन ।
24. अन्य अपराध ।
25. कम्पनियों द्वारा अपराध ।
26. अपराधों का संज्ञान ।
27. अभियोजनों की परिसीमा ।

अध्याय 7

प्रकीर्ण

28. निरीक्षक कर्मचारीवृन्द ।
29. रजिस्टरों और अन्य अभिलेखों का रखा जाना ।
30. इस अधिनियम के असंगत विधियों और करारों का प्रभाव।
31. विशेष दशाओं में छूट देने की शक्ति ।
32. अधिनियम के अधीन की गई कार्यवाही का परित्राण ।
33. निदेश देने की शक्ति ।
34. कठिनाईयों का निराकरण करने की शक्ति ।
35. नियम बनाने की शक्ति ।

1967 का विधेयक संख्या 108 ख

संविद श्रमिक (विनियमन और उत्सादन) विधेयक 1967

(जैसा कि संयुक्त समिति द्वारा रिपोर्ट किया गया)

[रेखांकित शब्द समिति द्वारा सुझाए गए संशोधन उपदर्शित करते हैं और तारक चिन्ह लोप उपदर्शित करते हैं]

कतिपय स्थापनों में संविद श्रमिकों के नियोजन को विनियमित करने और कतिपय परिस्थितियों में उनके उत्सादन का उपबन्ध करने तथा तत्संसक्त अन्य विषयों के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के बीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो--

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. (1) यह अधिनियम संविद् श्रमिक (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1969 कहा जा सकेगा। संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारम्भ और लागू होना।

(2) इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है।

(3) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे और इस अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।

(4) यह—

(क) ऐसे प्रत्येक स्थान पर लागू होता है, जिसमें बीस या अधिक कर्मकार संविद् श्रमिक के रूप में नियोजित हैं या पूर्ववर्ती बारह मासों के किसी भी दिन नियोजित थे;

(ख) ऐसे हर ठेकेदार को लागू होता है जो बीस या अधिक कर्मकारों को नियोजित करता है या जिसने पूर्ववर्ती बारह मासों के किसी भी दिन बीस या अधिक कर्मकार नियोजित किए थे :

परन्तु समुचित सरकार, अपने ऐसा करने के आशय की अन्यून दो मास की सूचना देने के पश्चात् इस अधिनियम के उपबन्धों को, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे किसी भी स्थापन या ठकेदार को लागू कर सकेगी जो बीस से कम उतने कर्मचारियों को नियोजित करता है जितने अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(5) (क) यह ऐसे स्थापनों को लागू नहीं होगा जिसमें केवल आन्तरायिक या आकस्मिक प्रकार का कार्य किया जाता है।

(ख) यदि यह प्रश्न उद्भूत होता है कि किसी स्थापन में किया गया कोई कार्य आन्तरायिक या आकस्मिक प्रकार का है या नहीं तो समुचित सरकार, यथास्थिति, केन्द्रीय बोर्ड या राज्य बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् उस प्रश्न का विनिश्चय करेगी और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए, किसी स्थापन में किया गया कार्य उस दशा में आन्तरायिक प्रकार का नहीं समझा जाएगा—

(i) जब कि वह पूर्ववर्ती बारह मासों में एक सौ बीस से अधिक दिन किया गया था; अथवा

(ii) जब कि वह सामयिक प्रकार का हो और एक वर्ष में साठ से अधिक दिन किया जाए।

परिभाषाएं

2. इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "समुचित सरकार" से—

(1) (i) केन्द्रीय सरकार द्वारा उस के प्राधिकार के अधीन चलाए जाने वाले किसी उद्योग से सम्बन्धित, या ऐसे किसी नियंत्रित उद्योग से, जिसे केन्द्रीय सरकार इसे निमित्त विनिर्दिष्ट करे, सम्बन्धित किसी स्थापन के सम्बन्ध में, अथवा

(ii) किसी रेल, छावनी बोर्ड, महापत्तन, खान या तैलक्षेत्र के किसी स्थापन के सम्बन्ध में, अथवा

(iii) बैंककारी या बीमा कम्पनी के किसी स्थान के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ;

(2) किसी अन्य स्थापन के सम्बन्ध में उस राज्य की सरकार जिसमें वह अन्य स्थापन स्थित है,

अभिप्रेत है।

(ख) कर्मकार की बाबत यह बात कि वह किसी स्थापन के सन्दर्भ में या के संसर्ग में "संविद श्रमिक" के तौर पर नियोजित है उस दशा में समझी जायेगी जिसमें कि वह प्रधान नियोजक की जानकारी में या उसके बिना, किसी ठेकेदार द्वारा या उसके माध्यम से, ऐसे संकर्म में या के संसर्ग में भाड़े पर रखा जाता है,

(ग) "ठेकेदार" से किसी स्थापन के सम्बन्ध में, ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी स्थापन को विनिर्मित माल या वस्तुओं का ही प्रदाय करने से भिन्न कोई निश्चित परिणाम संविद श्रमिकों के माध्यम से उस स्थापन के लिए प्राप्त कराने का वचनबन्ध करता है या जो उस स्थापन के किसी संकर्म के लिए संविद् श्रमिकों का प्रदाय करता है और इसके अन्तर्गत उप-ठेकेदार आता है,

(घ) "नियंत्रित उद्योग" से ऐसा उद्योग अभिप्रेत है जिसके बारे में किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा यह घोषित किया गया है कि संघ द्वारा उस पर नियन्त्रण रखना लोक हित में समीचीन है ।

(ङ) "स्थापन" से अभिप्रेत है--

(i) सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी का कोई कार्यालय या विभाग, अथवा

(ii) ऐसा कोई स्थान, जहाँ कोई उद्योग, व्यापार, कारबार, विनिर्माण या उपजीविका चलाई जाती है,

(च) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ।

(छ) "प्रधान नियोजक" से निम्नलिखित अभिप्रेत है--

(i) सरकार के किसी कार्यालय या विभाग या किसी स्थानीय प्राधिकारी के सम्बन्ध में उस कार्यालय या विभाग का प्रधान या ऐसा अन्य आफिसर जिसे यथास्थिति सरकार या स्थानीय प्राधिकारी इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे,

(ii) किसी कारखाने में, उस कारखाने का स्वामी या अधिभोगी और जहाँ कि कोई व्यक्ति कारखाना अधिनियम 1948 के अधीन उस कारखाने का प्रबन्धक नामित किया गया है वहाँ, इस प्रकार नामित व्यक्ति,

1948 का 63

(iii) किसी खान में, खान का स्वामी या अभिकर्ता और जहाँ कि कोई व्यक्ति उस खान का प्रबन्धक नामित किया गया है वहाँ, इस प्रकार नामित व्यक्ति,

(iv) किसी अन्य स्थापन में, उस स्थापन के पर्यवेक्षण और नियन्त्रण के लिए उत्तरदायी कोई व्यक्ति,

स्पष्टीकरण---इस खण्ड के उपखण्ड (iii) के प्रयोजनों के लिए "खान" "स्वामी" और "अभिकर्त्ता" शब्दों के वही अर्थ होंगे जो उन्हें खान अधिनियम, 1952 की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (ज), खण्ड (ठ) और खंण्ड (ग) में क्रमशः समनुदिष्ट हैं ।

1952 का 35

(ज) "मजूरी" का वही अर्थ होगा जो उसे मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 की धारा 2 के खण्ड (iv) में समनुदिष्ट है,

(ञ) "कर्मकार" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो भाड़े या इनाम के लिए कोई कुशल, अर्द्धकुशल या अकुशल शारीरिक कार्य या पर्यवेक्षणीय तकनीकी या लिपिक कार्य करने के लिए, चाहे नियोजन के निबंधन अभिव्यक्त हों या विवक्षित, किसी स्थापन के किसी संकर्म में या के संसंग में नियोजित है किन्तु इसके अन्तर्गत कोई व्यक्ति ऐसा नहीं आता, जो—

क—मुख्यतया प्रबन्ध सम्बन्धी प्रशासनिक हैसियत में नियोजित है, अथवा

ख—पर्यवेक्षण सम्बन्धी हैसियत में नियोजित है और पाँच सौ रुपए मासिक से अधिक मजदूरी पाता है या पद से सम्बद्ध कर्तव्यों की प्रकृति अथवा उसमें निहित शक्तियों के कारण मुख्यतया प्रबन्धीय प्रकार से कृत्यों का प्रयोग करता है, अथवा

ग—ऐसा बाह्य कार्मिक है, अर्थात् ऐसा व्यक्ति है, जिसे प्रधान नियोजक के व्यापार या कारबार के प्रयोजनों के लिए विक्रयार्थ प्रधान नियोजक द्वारा या उसकी ओर से कोई वस्तुएं या सामग्री ठीक करने, साफ करने, धोने, परिवर्तित करने, अलंकृत करने, अन्तिम रूप देने, मरम्मत करने या अनुकूलित करने या अन्यथा प्रक्रिया करने के लिए दिए जाते हैं और वह प्रक्रिया या तो बाह्य कार्मिक के घर में या ऐसे किसी अन्य परिसर में की जाती है जो प्रधान नियोजक के नियन्त्रण और प्रबन्ध के अधीन नहीं है।

अध्याय 2

सलाहकार बोर्ड

केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड।

3. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रशासन से उद्भूत होने वाले ऐसे मामलों पर उसे सलाह देने के लिए जो उसे निर्दिष्ट किए जाएं, तथा इस अधिनियम के अधीन उसे समनुदिष्ट अन्य कृत्यों को कार्यान्वित करने के लिए केन्द्रीय सलाहकार संविद् श्रमिक बोर्ड नामक एक बोर्ड (जिसे एतस्मिन्पश्चात् केन्द्रीय बोर्ड कहा गया है), यथाशाक्य शीघ्र, गठित करेगी।

(2) केन्द्रीय बोर्ड निम्नलिखित से मिलकर बनेगा —

(क) एक अध्यक्ष, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा;

(ख) (केन्द्रीय) मुख्य श्रम आयुक्त, पदेन;

(ग) सत्रह से अनधिक, किन्तु ग्यारह से अन्यून, उतने सदस्य जितने केन्द्रीय सरकार, उस सरकार, रेल, कोयला उद्योग, खनिज उद्योग, ठेकेदारों, कर्मकारों और ऐसे अन्य हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामनिर्देशित करे जिनका केन्द्रीय सरकार की राय में केन्द्रीय बोर्ड में प्रतिनिधित्व होना चाहिए:

परन्तु कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामनिर्देशित सदस्यों की संख्या, प्रधान नियोजकों और ठेकेदारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामनिर्देशित सदस्यों की संख्या से कम न होगी।

(3) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट श्रेणियों में से हर एक में से सदस्यों के रूप में नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, केन्द्रीय बोर्ड के सदस्यों की पदावधि तथा सेवा की अन्य शर्तें, उनके द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया तथा उसमें हुई रिक्तियों के भरने की रीति ऐसी होगी जैसी विहित की जाए।

4. (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रशासन से उद्भूत होने वाले ऐसे मामलों पर उसे सलाह देने के लिए, जो उसे निर्दिष्ट किए जाएं तथा इस अधिनियम के अधीन उसे समनुदिष्ट अन्य कृत्यों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सलाहकार संविद् श्रमिक बोर्ड नामक एक बोर्ड (जिसे एतस्मिन्पश्चात् राज्य बोर्ड कहा गया है) गठित कर सकेगी। राज्य सलाहकार बोर्ड।

(2) राज्य बोर्ड निम्नलिखित से मिलकर बनेगा—

(क) एक अध्यक्ष, जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा,

(ख) श्रम आयुक्त, पदेन या उसकी अनुपस्थिति में ऐसा कोई अन्य आफ़िसर जो राज्य सरकार द्वारा उस निमित्त नामनिर्देशित किया गया है,

(ग) ग्यारह से अनधिक, किन्तु नौ से अन्यून, उतने सदस्य जितने राज्य सरकार, उस सरकार, उद्योग, ठेकेदारों, कर्मकारों और ऐसे अन्य हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नाम निर्देशित करे जिनका राज्य सरकार की राय में राज्य बोर्ड में प्रतिनिधित्व होना चाहिए :

परन्तु कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामनिर्देशित सदस्यों की संख्या, प्रधान नियोजकों और ठेकेदारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामनिर्देशित सदस्यों की संख्या से कम न होगी।

(3) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट श्रेणियों में से हर एक में से सदस्यों के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, राज्य बोर्ड के सदस्यों की पदावधि और सेवा की अन्य शर्तें, उनके द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन में अनुसरित की जाने वाली इक्रिया तथा उनमें हुई रिक्तियों को भरने की रीति ऐसी होगी जैसी विहित की जाए।

5. (1) यथास्थिति, केन्द्रीय बोर्ड या राज्य बोर्ड ऐसी समितियां, ऐसे प्रयोजन या प्रयोजनों के लिए गठित कर सकेगा जिन्हें वह ठीक समझे। समितियां गठित करने की शक्ति।

(2) उपधारा (1) के अधीन गठित समिति का अधिवेशन ऐसे समयों और स्थानों पर होगा, और वह अपने अधिवेशनों में कारबार के संव्यवहार के संबंध में प्रक्रिया के नियमों का पालन करेगी, जैसे विहित किए जाएं।

(3) समिति के सदस्यों को उसके अधिवेशनों में हाजिर होने के लिए ऐसी फ़ीस और भत्ते दिये जाएंगे जो विहित किए जाएं ;

परन्तु ऐसे किसी सदस्य को कोई फ़ीस संदेय न होगी जो सरकार का या किसी तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा स्थापित किसी निगम का आफ़िसर है।

अध्याय 3

संविद् श्रमिकों को नियोजित करने वाले स्थापनों का रजिस्ट्रीकरण

रजिस्ट्रीकर्त्ता आफिसरों की नियुक्ति ।

6. समुचित्त सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचित आदेश द्वारा,—

(क) ऐसे व्यक्तियों को, जो सरकार के राजपत्रित आफ़िसर होंगे और जिन्हें वह ठीक समझे, इस अध्याय के प्रयोजन के लिए रजिस्ट्रीकर्ता आफ़िसर नियुक्त कर सकेगी, तथा

(ख) वे परिसीमाएं परिनिश्चित कर सकेंगी जिनके अन्दर रजिस्ट्रीकर्ता आफ़िसर इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपने को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा ।

कतिपय स्थापनों का रजिस्ट्रीकरण ।

7. (1) जिस स्थापन को यह अधिनियम लागू है उसका हर प्रधान नियोजक, उस स्थापन के रजिस्ट्रीकरण के लिए रजिस्ट्रीकर्त्ता आफ़िसर से ऐसी कालावधि के भीतर, जैसी समुचित सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, साधारण तथा स्थापनों के बारे में या उनके किसी वर्ग के बारे में इस निमित्त नियत करे, विहित रीति से आवेदन करेगा :

परन्तु यदि रजिस्ट्रीकर्ता आफ़िसर का समाधान हो जाता है कि आवेदक समय से आवेदन करने में पर्याप्त कारणवश निवारित हो गया था तो वह रजिस्ट्रीकरण के लिए ऐसा कोई भी आवेदन इस निमित्त नियत की गई कालावधि के अवसान के पश्चात् भी ग्रहण कर सकेगा ।

(2) यदि रजिस्ट्रीकरण का आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण है तो रजिस्ट्रीकर्ता आफ़िसर उस स्थापन की रजिस्ट्री करेगा और स्थापन के प्रधान नियोजक को रजिस्ट्रीकरण का एक प्रमाणपत्र देगा जिसमें ऐसी विशिष्टियां होंगी जैसी विहित की जाएं।

कतिपय मामलों में रजिस्ट्रीकरण का प्रसहरण।

8. यदि रजिस्ट्रीकर्त्ता आफिसर का या तो उसे इस निमित्त किए गए किसी निर्देश पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि किसी स्थापन का रजिस्ट्रीकरण दुर्व्यपदेशन द्वारा या किसी तात्विक तथ्य को दबा कर अभिप्राप्त किया गया है या रजिस्ट्रीकरण किसी अन्य कारण से बेकार या प्रभावहीन हो गया है और इस कारण उसका प्रतिसंहृत किया जाना अपेक्षित है तो रजिस्ट्रीकर्त्ता आफ़िसर स्थापन के प्रधान नियोजक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् और समुचित सरकार के पूर्व अनुमोदन से रजिस्ट्रीकरण प्रतिसंहृत कर सकेगा ।

अरजिस्ट्रीकरण का प्रभाव ।

9. ऐसे किसी स्थापन का, जिसे यह अधिनियम लागू होता है, प्रधान नियोजक—

(क) ऐसे स्थापन की दशा में जो धारा 7 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अपेक्षित है किन्तु जो उस धारा के अधीन उस प्रयोजन के लिए नियत समय के भीतर रजिस्ट्रीकृत नहीं हुआ है।

(ख) ऐसे स्थापन की दशा में जिसके बारे में रजिस्ट्रीकरण धारा 8 के अधीन प्रतिसंहृत कर दिया गया है,

यथास्थिति खण्ड (क) में निर्दिष्ट कालावधि के अवसान के पश्चात् या खण्ड (ख) में निर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण के प्रतिसंहरण के पश्चात् उस स्थापन में संविद् श्रमिकों को नियोजित नहीं करेगा ।

10. (1) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी समुचित सरकार यथास्थिति केन्द्रीय बोर्ड या राज्य बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् किसी भी स्थापन की किसी प्रक्रिया, क्रिया या अन्य संकर्म में संविद् श्रमिकों का नियोजन शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रतिषिद्ध कर सकेगी । संविद् श्रमिकों के नियोजन का प्रतिषेध ।

(2) किसी स्थापन के सम्बन्ध में उपधारा (1) के अधीन कोई अधिसूचना निकालने से पूर्व समुचित सरकार उस स्थापन में संविद् श्रमिकों के लिए उपबन्धित कार्य की दशाओं और प्रसुविधाओं तथा अन्य संगत बातों का ध्यान रखेगी यथा—

(क) क्या वह प्रक्रिया, क्रिया या अन्य संकर्म उस स्थापन में चलाए जाने वाले उद्योग, व्यापार, कारबार, विनिर्माण या उपजीविका से आनुषंगिक या उसके लिए आवश्यक है,

(ख) क्या वह वर्षानुवर्षी प्रकार का है अर्थात् क्या वह उस स्थापन में चलाए जाने वाले उद्योग, व्यापार, कारबार, विनिर्माण या उपजीविका का ध्यान रखते हुए पर्याप्त अस्तित्वावधि के लिए है,

(ग) क्या वह उस स्थापन में या उसी से मिलते-जुलते स्थापन में नियमित कर्मकारों के माध्यम से मामूली तौर से किया जाता है,

(घ) क्या प्रचुर संख्या में पूर्णकालीन कर्मकारों को नियोजित करना पर्याप्त है ।

स्पष्टीकरण—यदि यह प्रश्न उद्भूत होता है कि कोई प्रक्रिया या क्रिया या अन्य संकर्म वर्षानुवर्षी प्रकार का है या नहीं तो उस पर समुचित सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा ।

अध्याय 4

ठेकेदारों का अनुज्ञापन

11. समुचित सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचित आदेश द्वारा— अनुज्ञापक आफ़िसरों की नियुक्ति ।

(क) ऐसे व्यक्तियों को जो सरकार के राजपत्रित आफ़िसर होंगे और जिन्हें वह ठीक समझे, इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए अनुज्ञापक आफ़िसर नियुक्त कर सकेगी, तथा

(ख) उन परिसीमाओं को परिनिश्चित कर सकेगी जिनके अन्दर अनुज्ञापक आफ़िसर इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अनुज्ञापक आफ़िसरों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा ।

12. (1) ऐसी किसी तारीख से, जिसे समुचित सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, कोई भी ठेकेदार, जिसे यह अधिनियम लागू होता है, संविद् श्रमिकों के माध्यम से किसी भी संकर्म का उपक्रमण या निष्पादन अनुज्ञापक आफ़िसर द्वारा उस निमित्त दी गई अनुज्ञप्ति के अधीन और अनुसरण में करने के सिवाय, न करेगा । ठेकेदारों का अनुज्ञापन ।

(2) इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन यह है कि उपधारा (1) के अधीन की किसी अनुज्ञप्ति में ऐसी शर्तें, जिनके अन्तर्गत, विशिष्टतया, संविद् श्रमिकों के सम्बन्ध में काम के घंटों, * * * मजदूरी नियत किए जाने तथा अन्य मर्मभूत सुख-सुविधाओं के बारे में शर्तें आती हैं, अन्तर्विष्ट होंगी जैसी समुचित सरकार धारा 35 के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार, यदि कोई हों, अधिरोपित करना ठीक समझे और वह अनुज्ञप्ति ऐसी फ़ीस का संदाय करने पर और शर्तों के सम्यक् पालन के लिए

प्रतिभूति के रूप में ऐसी राशि, यदि कोई हो, निक्षिप्त करने पर दी जाएगी, जैसी विहित की जाए ।

अनुज्ञप्तियों का अनुदत्त किया जाना ।

13. (1) धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञप्ति अनुदत्त किए जाने के लिए हर आवेदन विहित प्ररूप में होगा और उसमें स्थापन की स्थिति तथा उस प्रक्रिया, क्रिया या संकर्म के प्रकार सम्बन्धी विशिष्टियां, जिनके लिए संविद् श्रमिकों का नियोजन किया जाना है, और ऐसी अन्य विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी जैसी विहित की जाएं ।

(2) अनुज्ञापक आफ़िसर उपधारा (1) के अधीन प्राप्त आवेदन के बारे में अन्वेषण कर सकेगा और ऐसा कोई अन्वेषण करते समय अनुज्ञातपक आफ़िसर ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जैसी विहित की जाए ।

(3) इस अध्याय के अधीन अनुदत्त अनुज्ञप्ति, उसमें विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए विधिमान्य होगी और उसका ऐसी कालावधि के लिए और ऐसी फ़ीस का संदाय करने पर तथा ऐसी शर्तों पर समय-समय पर नवीकरण किया जा सकेगा जैसी विहित की जाएं ।

अनुज्ञप्तियों का प्रतिसंहरण, निलम्बन और संशोधन ।

14. (1) यदि अनुज्ञापक आफिसर का, या तो उसे उस निमित्त किए गए निर्देश पर या अन्यथा, समाधान हो जाए कि––

(क) धारा 12 के अधीन अनुदत्त अनुज्ञप्ति दुर्व्यपदेशन द्वारा या किसी तात्विक तथ्य को दबा कर अभिप्राप्त की गई है अथवा

(ख) अनुज्ञप्तिधारक, युक्तियुक्त हेतुक के बिना, उन शर्तों का अनुपालन करने में असफल रहता है जिनके अध्यधीन अनुज्ञप्ति अनुदत्त की गई है या उसने इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन किया है,

तो ऐसी किसी अन्य शास्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जिसका अनुज्ञप्तिधारक इस अधिनियम के अधीन दायी हो सकता है, अनुज्ञापक आफिसर, अनुज्ञप्ति के धारक को हेतुक दर्शित करने का अवसर देने के पश्चात्, अनुज्ञप्ति को प्रतिसंहृत या निलम्बित कर सकेगा या उस धन-राशि को, यदि कोई हो, जो उन शर्तों के सम्यक् पालन के लिए, जिनके अध्यधीन अनुज्ञप्ति की गई है, प्रतिभूति के रूप में निक्षिप्त की गई थी या उसके किसी प्रभाग को मसपहृत कर सकेगा ।

(2) ऐसे किन्हीं नियमों के, जो इस निमित्त बनाए जाएं, अध्यधीन यह है कि अनुज्ञापक आफिसर धारा 12 के अधीन अनुदत्त अनुज्ञप्ति में फेरफार कर सकेगा या उसमें संशोधन कर सकेगा ।

अपील ।

15. (1) धारा 7, धारा 8, धारा 12 या धारा 14 के अधीन किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, उस तारीख से तीस दिन के भीतर जिसको वह आदेश उसे संसूचित किया गया था ऐसे किसी अपील आफिसर से अपील कर सकेगा जो समुचित सरकार द्वारा इस निमित्त नामनिर्देशित किया गया व्यक्ति होगा :

परन्तु यदि अपील आफिसर का समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय से अपील फाइल करने से पर्याप्त हेतुक द्वारा निवारित हुआ था तो वह तीस दिन की उक्त कालावधि के अवसान के पश्चात् भी अपील ग्रहण कर सकेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन अपील की प्राप्ति कर, अपील आफिसर, अपीलार्थी की सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, अपील का शीघ्र से शीघ्र निपटारा करेगा ।

अध्याय 5

संविद् श्रमिकों का कल्याण और स्वास्थ्य

16. (1) समुचित सरकार ऐसे नियम बना सकेगी जिसमें यह अपेक्षा की जाएगी कि हर ऐसे स्थापन में—— कैन्टीनें।

(क) जिसे यह अधिनियम लागू होता है,

(ख) जिसमें ऐसा कोई कार्य, जिसके लिए संविद् श्रमिकों का नियोजन अपेक्षित है, ऐसी कालावधि के लिए, जैसी विहित की जाए, चलता रहना सम्भाव्य है, तथा

(ग) जिसमें एक सौ या उससे अधिक की संख्या में संविद् श्रमिकों को ठेकेदार मामूली तौर से नियोजित किया जाता है।

ऐसे संविद् श्रमिकों के प्रयोग के लिए ठेकेदार द्वारा एक या अधिक कैन्टीनों का उपबन्ध और अनुरक्षण किया जाएगा।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यह नियम निम्नलिखित के लिए उपबन्ध कर सकेंगे——

(क) वह तारीख जिस तक कैन्टीनें उपबन्धित की जाएंगी,

(ख) उन कैन्टीनों की संख्या जो उपबन्धित की जाएंगी, तथा कैन्टीनों के निर्माण, उनमें वास-सुविधा, फर्नीचर तथा अन्य सज्जा-सम्बन्धी मानक, तथा

(ग) खाद्य पदार्थ जो वहां दिए जाएंगे और उनके लिए दिए जाने वाले प्रभार।

17. (1) हर स्थान में, जहां किसी ऐसे स्थापन के—— विश्राम-कक्ष।

(क) जिसे यह अधिनियम लागू होता है, तथा

(ख) जिसमें उस संकर्म का, जिसके लिए संविद् श्रमिकों का नियोजन अपेक्षित है, ऐसी कालावधि के लिए, जैसी नियत की जाए, चलता रहना सम्भाव्य है,

संकर्म के संसंग संविद् श्रमिकों से रात्रि में रुकने की अपेक्षा की जाती है, संविद् श्रमिकों के प्रयोग के लिए ठेकेदार द्वारा उतने विश्राम-कक्ष या अन्य उपयुक्त आनुकल्पिक आवास, जितने विहित किए जाएं, ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, उपबन्धित और अनुरक्षित किए जाएंगे।

(2) उपधारा (1) के अधीन उपबन्धित किए जाने वाले विश्राम-कक्षों या आनुकल्पिक आवासों में पर्याप्त प्रकाश और वातानुकूलन रहेगा और वे साफ तथा आराम-देह दशा में अनुरक्षित किए जाएंगे।

18. ऐसे किसी स्थापन के, जिसे यह अधिनियम लागू होता है, संकर्म के सम्बन्ध में संविद् श्रमिकों को नियोजित करने वाले हर ठेकेदार का यह कर्त्तव्य होगा कि वह—— अन्य सुविधायें।

(क) संविद् श्रमिकों के लिए सुविधाजनक स्थानों में स्वास्थ्यप्रद पेय जल का पर्याप्त प्रदाय,

(ख) पर्याप्त संख्या में विहित प्रकारों के शौचालय तथा मूत्रालय, जो इस प्रकार स्थित हों कि स्थापन के संविद् श्रमिकों के लिए सुविधाजनक हों और जहां वे पहुंच सकें, और

(ग) धुलाई सुविधाएं,

उपबन्धित और अनुरक्षित करें,

प्राथमिक उपचार की सुविधाएं।

19. ऐसे हर स्थान में, जहां किसी ठेकेदार द्वारा संविद् श्रमिकों का नियोजन किया जाता है ठेकेदार ऐसी एक प्राथमिक उपचार पेटिका का, जो विहित अन्तर्वस्तुओं से सज्जित होगी, उपबन्ध करेगा और उसे अनुरक्षित करेगा, जिस तक काम के सभी घन्टों में तुरन्त पहुंच हो सके।

कतिपय मामलों में प्रधान नियोजक का दायित्व।

20. (1) यदि किसी स्थापन में नियोजित संविद् श्रमिकों की प्रसुविधा के लिए धारा 16, धारा 17, धारा 18 या धारा 19 के अधीन उपबन्धित किए जाने के लिए अपेक्षित सुख-सुविधा का उनके लिए विहित समय के भीतर ठेकेदार द्वारा उपबन्ध नहीं किया गया है तो ऐसी सुख-सुविधा ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, प्रधान नियोजनक द्वारा उपबन्धित की जाएगी।

(2) ऐसी सुख-सुविधा का उपबन्ध करने में प्रधान नियोजक द्वारा उपगत किए गए सभी व्यय प्रधान नियोजक द्वारा ठेकेदार से, या तो किसी संविदा के अधीन ठेकेदार को संदेय किसी रकम में से कटौती करके या ठेकेदार द्वारा संदेय ऋण के रूप में, वसूल किए जाएंगे।

मज़ूरी का संदाय करने का उत्तरदायित्व।

21. (1) ठेकेदार, संविद् श्रमिक के रूप में अपने द्वारा नियोजित हर एक कार्मिक को मजदूरी का संदाय करने का उत्तरदायी होगा और ऐसी मजदूरी ऐसी कालावधि के अवसान से पूर्व दी जाएगी जैसी विहित की जाए।

(2) हर एक प्रधान नियोजक अपने द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत एक प्रतिनिधि को, ठेकेदार द्वारा मजदूरी के वितरण के समय उपस्थित रहने के लिए नामनिर्देशित करेगा और ऐसे प्रतिनिधि का यह कर्तव्य होगा कि वह मजदूरी के रूप में संदत्त रकमों को ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाए, प्रमाणित करे।

(3) ठेकेदार का कर्तव्य होगा कि वह प्रधान नियोजक के प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में मजदूरी का वितरण सुनिश्चित करे।

(4) ऐसी दशा में, जिसमें ठेकेदार विहित कालावधि के भीतर मजदूरी का संदाय करने में असफल रहता है या कम संदाय करता है, प्रधान नियोजक ठेकेदार द्वारा नियोजित संविद् श्रमिकों को यथास्थिति पूरी मजदूरी या उसे शोध्य असंदत्त अतिशेष का संदाय करने का दायी होगा तथा इस प्रकार दी गई रकम को ठेकेदार से, या तो किसी संविदा के अधीन ठेकेदार को संदेय किसी रकम में से कटौती करके या ठेकेदार द्वारा संदेय किसी ऋण के रूप में, वसूल कर सकेगा।

अध्याय 6

शास्तियां और प्रक्रिया

बाधाएं।

22. (1) जो कोई, किसी निरीक्षक को इस अधिनियम के अधीन उसके कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा पहुंचाएगा, या ऐसे किसी स्थापन के या ठेकेदार के सम्बन्ध में, जिसे यह अधिनियम लागू होता है, कोई निरीक्षण, परीक्षा, जांच या अन्वेषण, जो इस अधिनियम के द्वारा या अधीन प्राधिकृत है, करने के लिए निरीक्षक को युक्तियुक्त सुविधा देने से इन्कार या उसमें जानबूझकर उपेक्षा करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(2) जो कोई, इस अधिनियम के अनुसरण में रखे गए किसी रजिस्टर या अन्य दस्तावेज को किसी निरीक्षक की मांग पर पेश करने से जानबूझकर इन्कार करेगा या इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों के अनुसरण में कार्य करने वाले किसी निरीक्षक के समक्ष उपसंजात होने या निरीक्षक द्वारा परीक्षित किए जाने से किसी व्यक्ति को निवारित करेगा या निवारित करने का प्रयत्न करेगा या ऐसा कोई कार्य करेगा जिसके बारे में वह यह विश्वास करने का कारण रखता है कि उससे किसी व्यक्ति को ऐसे निवारित करना सम्भाव्य है, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय हो सकेगा ।

संविद् श्रमिकों के नियोजन के सम्बन्ध में उपबन्धों का उल्लंघन ।

23. जो कोई इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के किसी ऐसे उपबन्ध का उल्लंघन करेगा, जो संविद् श्रमिकों के नियोजन को प्रतिषिद्, निर्बन्धित या विनियमित करता है या इस अधिनियम के अधीन अनुदत्त अनुज्ञप्ति की किसी शर्त का उल्लंघन करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा, और चालू रहने वाले उल्लंघन की दशा में ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा जो ऐसे प्रथम उल्लंघन के लिए दोषसिद्धि के पश्चात् ऐसे हर दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन चालू रहता है, एक सौ रुपए तक का हो सकेगा ।

अन्य अपराध ।

24. यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के ऐसे किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा जिनके लिए अन्यत्र कोई अन्य शास्ति उपबन्धित नहीं की गई है तो, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

कम्पनियों द्वारा अपराध ।

25. (1) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कम्पनी है तो वह कम्पनी और अपराध किए जाने के समय कम्पनी के कारबार के संचालन के लिए उसका भारसाधक तथा उसके प्रति उत्तरदायी हर एक व्यक्ति उस अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही की जाने और दंडित किए जाने के दायित्व के अधीन होंगे ;

परन्तु इस उपधारा में अन्तर्विष्ट कोई भी बात ऐसे किसी व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबन्धित किसी दण्ड के दायित्व के अधीन न करेगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या ऐसे अपराध का किया जाना निवारित करने के लिए उसने सभी सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध कम्पनी द्वारा किया गया है और यह साबित कर दिया जाता है कि वह अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, प्रबन्ध-अभिकर्ता या अन्य किसी आफिसर की सम्मति या मौनानुकूलता से किया गया था या उसकी ओर से हुई किसी अपेक्षा के कारण हुआ माना जा सकता है वहां ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, प्रबन्ध-अभिकर्ता या अन्य कोई आफिसर भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और वह तदनुसार दण्डनीय होगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) "कम्पनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम आता है; तथा

(ख) "फर्म" के सम्बन्ध में निदेशक से फर्म का भागीदार अभिप्रेत है ।

अपराधों का संज्ञान ।

26. कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान, तब के सिवाय नहीं करेगा, जबकि कोई परिवाद निरीक्षक द्वारा, या लिखित रूप में उसकी पूर्व मंजूरी से, किया गया हो, और प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट से नीचे का कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा ।

अभियोजनों की परिसीमा ।

27. कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान तब तक नहीं करेगा जब तक उसका परिवाद उस तारीख से तीन मास के भीतर न किया गया हो जिसको, अपराध, जिसका किया जाना अभिकथित है, निरीक्षक की जानकारी में आया था :

परन्तु जहां कि अपराध निरीक्षक द्वारा किए गए किसी लिखित आदेश की अवज्ञा करने के रूप में है वहां, उसका परिवाद उस तारीख से, जिसको अपराध का किया जाना अभिकथित है, छह मास के भीतर किया जा सकेगा ।

अध्याय 7

प्रकीर्ण

निरीक्षक कर्मचारीवृन्द ।

28. (1) समुचित सरकार ऐसे व्यक्तियों को, जिन्हें वह ठीक समझे, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निरीक्षक नियुक्त कर सकेगी तथा उस स्थानीय सीमाओं को परिनिश्चित कर सकेगी जिनके अन्दर वे इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे ।

(2) इस निमित्त बनाए गए किन्हीं नियमों के अध्यधीन यह है कि निरीक्षक, उन स्थानीय सीमाओं के भीतर जिनके लिए वह नियुक्त किया गया है,—

(क) ऐसे सहायकों के साथ (यदि कोई हों), जो सरकार या किसी स्थानीय या अन्य लोक प्राधिकारी की सेवा में लगे हुए व्यक्ति हों और जिन्हें वह ठीक समझे, इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के द्वारा या अधीन रखे या प्रदर्शित किए जाने के लिए अपेक्षित किसी रजिस्टर या अभिलेख या किन्हीं सूचनाओं की परीक्षा करने के प्रयोजन के लिए सभी युक्तियुक्त घन्टों में ऐसे किसी परिसर या स्थान में प्रवेश कर सकेगा जहां संविद् श्रमिक नियोजित है और निरीक्षण के लिए उनका पेश किया जाना अपेक्षित कर सकेगा,

(ख) ऐसे किसी व्यक्ति की परीक्षा कर सकेगा जिसे वह ऐसे किसी परिसर या या स्थान में पाए और जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त हेतुक हो कि वह उसमें नियोजित कोई कर्मकार है,

(ग) काम बांटने वाले किसी व्यक्ति से और किसी भी कर्मकार से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह उन व्यक्तियों के, जिन्हें या जिनके लिए काम बांटा जाता है या जिनसे काम प्राप्त होता है, नामों और पतों के सम्बन्ध में तथा काम के लिए किए जाने वाले संदायों के सम्बन्ध में ऐसी जानकारी दें जिसका देना उसकी शक्ति में हो,

(घ) ऐसे रजिस्टर, मजूरी के अधिलेख या सूचनाएं या उनके प्रभाग जिन्हें वह इस अधिनियम के अधीन किसी ऐसे अपराध के सम्बन्ध में संगत समझे, जिसके बारे में वह यह विश्वास करने का कारण रखता है कि वह अपराध प्रधान नियोजक या ठेकेदार द्वारा किया गया है, अभिगृहीत कर सकेगा या उनकी प्रतिलिपियां ले सकेगा,

(ङ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा जैसी विहित की जाएं।

(3) ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में जिससे उपधारा (2) के अधीन निरीक्षक द्वारा अपेक्षित कोई दस्तावेज या चीज पेश करने या कोई जानकारी देने की अपेक्षा की गई है यह समझा जाएगा कि वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 175 और धारा 176 के अर्थ के अन्दर वैसा करने के लिए वैध रूप से आबद्ध है। 1860 का 45

(4) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 के उपबन्ध उपधारा (2) के अधीन किसी तलाशी या अभिग्रहण के सम्बन्ध में यावत्शक्य उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे उक्त संहिता की धारा 98 के अधीन निकाले गए किसी वारंट के प्राधिकार के अधीन किसी तलाशी या अभिग्रहण को लागू होते हैं। 1898 का 5

रजिस्टरों और अन्य अभिलेखों का रखा जाना।

29. (1) हर प्रधान नियोजक और हर ठेकेदार ऐसे रजिस्टरों और अभिलेखों को रखेगा जिनमें नियोजित संविद् श्रमिकों के बारे में ऐसी विशिष्टियां, उनके द्वारा किए गए कार्य की प्रकृति, उन्हें दी गई मजदूरी की दरें तथा अन्य ऐसी विशिष्टियां ऐसे प्ररूप में रखी जाएंगी जैसी विहित की जाएं।

(2) हर प्रधान नियोजक और हर ठेकेदार उस स्थापन के परिसर के अन्दर, जहां संविद् श्रमिक नियोजित किए जाते हैं, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, विहित प्ररूप में ऐसी सूचनाएं प्रदर्शित करता रहेगा जिनमें काम के घन्टों और कर्त्तव्यों की प्रकृति के सम्बन्ध में विशिष्टियां तथा ऐसी अन्य जानकारी, जो विहित की जाए, अन्तर्विष्ट होंगी।

इस अधिनियम से असंगत विधियों और करारों का प्रभाव।

30. (1) इस अधिनियम के उपबन्ध, स्थापन को लागू किसी अन्य विधि में या किसी करार या सेवा की संविदा के निबंधनों या किन्हीं स्थायी आदेशों में, चाहे वे इस अधिनियम के प्रारम्भ में पूर्व किए गए हों या पश्चात, अन्तर्विष्ट तदसंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी रहेंगे ;

परन्तु जहां कि स्थापन में नियोजित संविद् श्रमिक ऐसे किसी करार, सेवा की संविदा या स्थायी आदेशों के अधीन किसी मामले के सम्बन्ध में उन प्रसुविधाओं के हक़दार हैं जो ऐसी प्रसुविधाओं की अपेक्षा, जिनके हक़दार वे इस अधिनियम के अधीन होंगे, अधिक अनुकूल हैं तो संविद् श्रमिक इस बात के होते हुए भी कि वे इस अधिनियम के अधीन अन्य मामलों के सम्बन्ध में प्रसुविधाएं प्राप्त करते हैं, उस मामले के सम्बन्ध में अधिक अनुकूल प्रसुविधाओं के हक़दार बने रहेंगे।

(2) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह ऐसे संविद् श्रमिकों को, यथोस्थिति, प्रधान नियोजक या ठेकेदार के साथ किसी मामले के सम्बन्ध में ऐसे अधिकार या विशेषाधिकार अनुदत्त करने के लिए, जो उन प्रसुविधाओं की अपेक्षा उनके लिए, अधिक अनुकूल हैं जिनके हक़दार वे इस अधिनियम के अधीन होते, कोई क़रार करने से प्रचारित करती है।

विशेष दशाओं में छूट देने की शक्ति।

31. यदि समुचित सरकार की राय में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगी कि ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के, यदि कोई हों, अध्यधीन रहते हुए तथा ऐसी कालावधि या कालावधियों के लिए, जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के सभी या कोई उपबन्ध किसी स्थापन या स्थापनों के किसी वग या ठेकेदारों के किसी वर्ग को लागू नहीं होंगे।

अधिनियम के अधीन की गई कार्यवाही का परित्राण।

32. (1) कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियम या किए गए किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए किसी रजिस्ट्रीकर्ता आफिसर, अनुज्ञापक आफिसर या किसी अन्य सरकारी सेवक या यथास्थिति, केन्द्रीय बोर्ड या राज्य बोर्ड के किसी सदस्य के विरुद्ध नहीं होगी।

(2) कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए किसी नियम या किए गए किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात से किसी नुकसान के लिए जो कारित हुआ है या जिसका उस बात के कारित होना सम्भाव्य है सरकार के विरुद्ध नहीं होगी ।

निदेश देने की शक्ति ।

33. केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के किसी राज्य में कार्यान्वित किए जाने के बारे में उस राज्य की सरकार को निदेश दे सकेगी ।

कठिनाइयों का निराकरण करने की शक्ति ।

34. यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावशील बनाने में कोई कठिनाई उद्भूत होनी है तो केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों से अनसंगत ऐसे उपबन्ध बना सकेगी जो उस कठिनाई का निराकरण करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों ।

नियम बनाने की शक्ति ।

35. (1) समुचित सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, उनके पूर्व प्रकाशन के अध्यधीन रहते हुए, बना सकेंगी ।

(2) विशिष्टतया, और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं भी विषयों के लिए उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात्—

(क) केन्द्रीय बोर्ड और राज्य बोर्ड में विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, उनकी पदावधि तथा सेवा की अन्य शर्तें, उनके कृत्यों के निर्वहन में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया और रिक्तियां भरने की रीति,

(ख) इस अधिनियम के अधीन गठित किसी समिति के अधिवेशनों के समय और स्थान, ऐसे अधिवेशनों में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया, जिसके अन्तर्गत कारबार के सव्यवहार के लिए आवश्यक गणपूर्ति भी है, और समिति के सदस्यों को दी जाने वाली फ़ीस तथा भत्ते,

(ग) वह रीति जिससे धारा 7 के अधीन स्थापन रजिस्ट्रीकृत किए जा सकेंगे, उसके लिए फ़ीस या उद्ग्रहण तथा रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का प्ररूप;

(घ) धारा 13 के अधीन अनुज्ञप्ति के अनुदान या नवीकरण के आवेदन का प्ररूप और वे विशिष्टियां, जो उसमें अन्तर्विष्ट हो सकेंगी,

(ङ) अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने के लिए किसी आवेदन के सम्बन्ध में किए जाने वाले अन्वेषण की रीति तथा वे बातें, जिनका अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने या उसे देने से इन्कार किए जाने के समय ध्यान रखा जाएगा,

(च) उस अनुमति का प्ररूप, जो धारा 12 के अधीन अनुदत्त या नवीकृत की जा सकेगी, और वे शर्तें, जिनके अध्यधीन रहते हुए अनुज्ञप्ति अनुदत्त या नवीकृत की जा सकेंगी, अनुज्ञप्ति के अनुदान या नवीकरण के लिए उद्ग्रहणीय फ़ीस और ऐसी शर्तों के पालन के लिए प्रतिभूति के रूप में किसी राशि का निक्षिप्त किया जाना,

(छ) वे परिस्थितियां, जिनमें अनुज्ञप्तियों में धारा 14 के अधीन फेरफार या संशोधन किया जा सकेगा,

(ज) वह प्ररूप और रीति, जिसमें धारा 15 के अधीन अपीलें फ़ाइल की जा सकेंगी तथा अपीलों का निपटारा करने में अपील आफ़िसरों द्वारा अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया,

(झ) वह समय जिसके भीतर ऐसी सुविधाएं जो इन अधिनियम के अधीन, उपबन्धित और अनुरक्षित की जाने के लिए अपेक्षित हैं, ठेकेदार द्वारा, और ठेकेदार की ओर से व्यतिक्रम होने पर प्रधान नियोजक द्वारा इस प्रकार उपबन्धित की जाएंगी,

(ञ) उन कैन्टीनों, विश्राम कक्षों, शौचालयों और मूत्रालयों की संख्या और उनका प्रकार, जिन्हें उपबन्धित और अनुरक्षित किया जाएगा,

(ट) प्राथमिक उपचार पेटिका में उस सामग्री की किस्म, जो उपबन्धित की जाएगी,

(ठ) वह कालावधि, जिसके भीतर संविद् श्रमिकों को संदेय मजदूरी धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन ठेकेदार द्वारा दी जाएगी,

(ड) प्रधान नियोजकों और ठेकेदारों द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टरों और अभिलेखों के प्ररूप,

(ढ) विवरणियों का भेजा जाना, तथा वे प्ररूप जिनमें और वे प्राधिकारी जिन्हें ऐसी विवरणियां भेजी जा सकेंगी,

(ण) संविद् श्रमिकों के सम्बन्ध में किसी जानकारी या किन्हीं आंकड़ों का संग्रहण, तथा

(त) कोई अन्य विषय, जो इस अधिनियम के अधीन विहित किया जाना है या विहित किया जा सकता है ।

(3) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया हर नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र, संसद् के हर एक सदन के समक्ष उस समय जब वह सत्र में हो, कुल मिलाकर तीस दिन की कालावधि के लिए, जो एक सत्र में या दो क्रमवर्ती सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखा जाएगा, और यदि उस सत्र के, जिसमें वह ऐसे रखा गया हो, या अव्यवहित पश्चात्वर्ती सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई उपान्तर करने के लिए सहमत हो जाएं या दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् यथास्थिति, वह नियम, ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावशील होगा या उसका कोई भी प्रभाव न होगा, किन्तु ऐसे कि ऐसा कोई उपान्तर या बातिलकरण उस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा ।

परिशिष्ट एक

(देखिये प्रतिवेदन का पैरा 2)

विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने के लिए लोक सभा में प्रस्ताव

"कि कतिपय स्थापनों में संविद् श्रमिकों के नियोजन को विनियमित करने और कतिपय परिस्थितियों में उनके उत्सादन का उपबन्ध करने तथा तत्संसक्त अन्य विषयों के लिए विधेयक को दोनों सभाओं को 45 सदस्यों की संयुक्त समिति को सौंपा जाय, जिसमें इस सभा के 30 सदस्य, अर्थात्:––

1. श्री आर० के० अमीन
2. श्री एन० अम्बुचेझियान
3. श्री त्रिदिब चौधरी
4. श्री एम० देवीकन
5. श्री के० आर० गणेश
6. श्री श्रीचन्द गोयल
7. श्री राम कृष्ण गुप्त
8. श्री एस० सी० जमीर
9. डा० रानेन सेन
10. श्री हुकम चन्द कछवाय
11. कुमारी कमला कुमारी
12. श्री समरेन्द्र कुन्डू
13. श्री भजहरि महतो
14. श्री के० आनन्द नम्बियार
15. श्री काशीनाथ पाण्डेय
16. श्री एस० डी० पाटिल
17. श्री खगपति प्रधानी
18. श्री एस० पी० राममूर्ति
19. श्री विश्वासराय नरसिम्हा राव
20. डा० शिशिर कुमार साहा
21. श्री पी० एम० सईद
22. श्री देवेन सेन
23. श्री बी० शंकरानन्द
24. श्री शशि भूषण
25. श्री विश्वनारायण शास्त्री
26. श्री एस० एम० सोलंकी
27. श्री जी० वेंकटस्वामी
28. श्री आर० एस० विद्यार्थी
29. श्री वीरभद्र सिंह
30. श्री दा० रा० चह्वाण, और राज्य सभा के 15 सदस्य

लोक-सभा

संविद् श्रमिक (विनियमन और उत्सादन)
विधेयक, 1967 सम्बन्धी
संयुक्त समिति के प्रतिवेदन
का

शुद्धि-पत्र

1. पृष्ठ (xii) -
पंक्ति 16 में "बरसता" के स्थान पर "बरसात" पढ़िये ।

2. पृष्ठ (xiv) -
पंक्ति 28 में "अध्यय" के स्थान पर "अध्ययन" पढ़िये ।

3. पृष्ठ (xv) -
पंक्ति 28 में "दिमनों" के स्थान पर "दिनों" पढ़िये ।

4. पृष्ठ 3 -
पंक्ति 9 में "बचनबन्द्ध" के स्थान पर "वचनबन्ध" पढ़िये ।

5. पृष्ठ 3 -
नीचे से दूसरी पंक्ति में "(व)" के स्थान पर "(ज)" पढ़िये ।

6. पृष्ठ 4 -
पंक्ति 5 में "कोई व्यक्ति ऐसा" के स्थान पर "ऐसा कोई व्यक्ति" पढ़िये ।

7. पृष्ठ 5 -
पंक्ति 26 में "इक्रिया" के स्थान पर "प्रक्रिया" पढ़िये ।

8. पृष्ठ 11 -
नीचे से पंक्ति 3 में "मिकाय" के स्थान पर "निकाय" पढ़िये ।

9. पृष्ठ 14 -

पंक्ति 13 में "डाल" के स्थान पर "डाले" पढ़िये, और
पंक्ति 22 में "सव्यवहार" के स्थान पर "संव्यवहार"
पढ़िये ।

10. पृष्ठ 16 -

पंक्ति 5 में "सभाओं को" के स्थान पर "सभाओं की"
पढ़िये , और
अन्तिम पंक्ति के अन्त में "हों" भी पढ़िये ।

11. पृष्ठ 22 -

अध्ययन ग्रुप -4- आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा के नीचे तीसरे कालम में वर्तमान मद (तीन) के स्थान पर यह पढ़िये "हैदराबाद अस्बस्टोस सीमेंट लिमिटेड, हैदराबाद" और उसके पश्चात यह नई मद पढ़िये -

"(चार) एसोसिएटेड सीमेंट कम्पनी लिमिटेड, किस्तना सीमेंट्स, टाडेपल्ले"

12. पृष्ठ 22 -

नीचे से पंक्ति 4 में
"श्री सुन्दर सिंह मणि पटेल" के स्थान पर "श्री सुन्दर मणि पटेल" पढ़िये ।

13. पृष्ठ 29 -

नीचे से पंक्ति 7 में "श्री के.आन्दन नम्बियार" के स्थान पर "श्री के. आनन्द नम्बियार" पढ़िये ।

14. पृष्ठ 32 -

पंक्ति 1 के आरम्भ में "2." के स्थान पर "3." पढ़िये ।

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई होगी।

कि समिति इस सभा को अगले सत्र के पहले दिन तक प्रतिवेदन देगी;

कि अन्य बातों में संसदीय समितियों पर लागू होने वाले इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और रूपभेदों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष करे; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले 15 सदस्यों के नाम इस सभा को बताये।"

परिशिष्ट 2

(देखिये प्रतिवेदन का पैरा 3)

राज्य सभा में प्रस्ताव

"कि यह सभा लोक सभा को इस सिफारिश से सहमत है कि राज्य सभा कतिपय स्थापनों के संविद श्रमिकों के नियोजन को विनियमित करने और कतिपय परिस्थितियों में उनके उत्सादन का उपबन्ध करने तथा तत्संसक्त अन्य विषयों के लिए विधेयक सम्बन्धी दोनों सभाओं को संयुक्त समिति में सम्मिलित हो, और संकल्प करती है कि राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्य उक्त संयुक्त समिति में कार्य करने के लिए नामनिर्देशित किये जायें :—

1. श्री अनन्त प्रसाद शर्मा
2. श्री विनय कुमार महन्ती
3. श्री दलपत सिंह
4. श्री ए० सी० गिलबर्ट
5. पंडित भवानी प्रसाद तिवारी
6. श्री श्याम धर मिश्र
7. श्री शेरखां
8. श्री श्रीमन प्रफुल्ल गोस्वामी
9. श्री सन्दा नारायणप्पा
10. श्री सुन्दरमणि पटेल
11. श्री प्रेम मनोहर
12. श्री रेवती कान्त सिन्हा
13. श्री सूरज प्रसाद
14. श्री ब्रह्मानन्द पंडा
15. श्री जयसुखलाल हाथी ।"

परिशिष्ट तीन

(देखिये प्रतिवेदन का पैरा 7)

संयुक्त समिति द्वारा प्राप्त ज्ञापनों/अभ्यावेदनों का विवरण

क्रम संख्या	जिससे प्राप्त हुआ	की गई कार्रवाई
1	2	3
1	आसाम सरकार	सदस्यों को भेजा गया ।
2	भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ (उ० प्र०) कांग्रेस, लखनऊ . .	सदस्यों को भेजा गया और 20-6-68 को साक्ष्य लिया गया ।
3	दक्षिण रेलवे कर्मचारी संघ, गोल्ड राक (तिरुचि, एस० आई) .	तदेव
4	अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस, नई दिल्ली . .	तदेव
5	हरियाणा सरकार	सदस्यों को भेजा गया ।
6	संयुक्त मजदूर संघ कांग्रेस, कलकत्ता . . .	तदेव
7	दक्षिण रेलवे कर्मचारी संघ गोल्ड राक, मदुरै शाखा, मदुरै .	तदेव
8	अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी फेडरेशन, नई दिल्ली . .	सदस्यों को भेजा गया और 22-6-68 को साक्ष्य लिया गया ।
9	पांडिचेरी सरकार	सदस्यों को भेजा गया ।
10	भारतीय रेलवे कर्मचारियों की राष्ट्रीय फेडरेशन, नई दिल्ली .	सदस्यों को भेजा गया और 22-6-68 को साक्ष्य लिया गया ।
11	हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड, बम्बई	सदस्यों को भेजा गया ।
12	दिल्ली प्रशासन	सदस्यों को भेजा गया ।
13	बम्बई पत्तन-न्यास, बम्बई	तदेव
14	पश्चिमी बंगाल सरकार	तदेव
15	गोवा, दमन तथा दीव की सरकार . . .	तदेव
16	अखिल भारतीय निर्माता संघ, बम्बई . . .	सदस्यों को भेजा गया और 26-9-68 को साक्ष्य लिया गया ।
17	भारत के नियोजकों की फेडरेशन, बम्बई . . .	तदेव
18	अखिल भारतीय औद्योगिक नियोजक संगठन, नई दिल्ली .	तदेव
19	हिन्द मज़दूर सभा, बम्बई	सदस्यों को भेजा गया और 27-9-68 को साक्ष्य लिया गया ।
20	रेलवे मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)	सदस्यों को भेजा गया और 28-9-68 को साक्ष्य लिया गया ।
21	केन्द्रीय लोक निर्माण, विभाग, नई दिल्ली . . .	तदेव
22	कलकत्ता चाय व्यापारी संस्था, कलकत्ता . . .	सदस्यों को भेजा गया और 23-11-68 को साक्ष्य लिया गया ।

1		2	3
23	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, डाकखाना हिनू, रांची		सदस्यों को भेजा गया ।
24	मद्रास पत्तन न्यास, मद्रास		तदेव
25	मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल		तदेव
26	हिन्दुस्तान लीवर मज़दूर सभा, कलकत्ता		तदेव
27	कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन लिमिटेड, कलकत्ता		तदेव
28	रेलवे गोदाम कर्मचारी संघ, हावड़ा		तदेव
29	गार्डन रीच कर्मशाला मजदूर तथा कर्मचारी संघ, कलकत्ता		तदेव
30	वाटरफ्रन्ट मजदूरों का राष्ट्रीय संघ, कलकत्ता		तदेव
31	भारतीय निर्माता संस्था, बम्बई		तदेव
32	दक्षिण भारतीय संयुक्त बागान मालिक संस्था, कुनूर		तदेव
33	कलकत्ता चाय व्यापारी संस्था, कलकत्ता		तदेव

परिशिष्ट चार

(देखिये प्रतिवेदन का पैरा 9)

विभिन्न राज्यों में उन उद्योगों, पत्तनों, गोदियों और रेलवे स्थापनों आदि की सूची जिनके कार्य चालन का स्तत्स्थानीय अध्ययन करने के लिए संयुक्त समिति के सदस्यों ने दौरा किया

अध्ययन ग्रुपों की रचना	दौरे की तारीखें	जिन स्थानों का दौरा किया
1	2	3
अध्ययन ग्रुप एक (पश्चिम बंगाल तथा बिहार) 1. डा० शिशिर कुमार साहा—संयोजक 2. श्री एम० देवीकन 3. श्री शशि भूषण 4. श्री देवेन सेन 5. श्री हुकम चन्द कछवाय 6. श्री भजहरि महतो 7. श्री एस० पी० राममूर्ति	5 से 10 सितम्बर, 1968	(एक) चाय कम्पनियां और पारगमन शेड किद्दरपुर, गोदी क्षेत्र, कलकत्ता । (दो) कलकत्ता बिजली सप्लाई कम्पनी, दक्षिण शाखा, कलकत्ता । (तीन) गार्डन रीच वर्कशाप्स, कलकत्ता । (चार) हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड, गार्डन रीच, कलकत्ता । (पांच) बेलूर स्क्रैप यार्ड, हावड़ा । (छः) रेलवे लोको शेड, हावड़ा । (सात) माल तथा पार्सल शेड, हावड़ा । (आठ) गार्डन रीच जेट्टी, कलकत्ता । (नौ) पत्तन आयुक्त का कार्यालय, कलकत्ता । (दस) दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर । (ग्यारह) बांक्समुल्लिया कोयला खान, आसनसोल । (बारह) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, चित्तरंजन । (तेरह) चित्तरंजन लोकोमोटिव्स, चित्तरंजन । (चौदह) बोकारो इस्पात संयंत्र, बोकारो । (पन्द्रह) हिन्दुस्तान इस्पात निर्माण निगम, रांची । (सोलह) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम, रांची । (सत्रह) भारी इंजीनियरी निगम, रांची ।
अध्ययन ग्रुप 2—(महाराष्ट्र तथा गोवा) 1. श्री काशीनाथ पांडे—सभापति 2. डा० रानेन सेन 3. श्री रा० स्व० विद्यार्थी 4. श्री एस० एम० सोलंकी 5. श्री वीरभद्र सिंह 6. श्री विश्वास राय नरसिंहराव 7. श्री पी० एम० सईद 8. कुमारी कमला कुमारी	15 से 20 सितम्बर, 1968	(एक) बीड़ी निर्माण इकाइयां कारखाने, काम्पटी (जिला नागपुर) (दो) गुमगाओं मैंगनीज खाने खापा . (तीन) महाराष्ट्र आवासा बोर्ड—निर्माण स्थल, बांद्रा, बम्बई (चार) बम्बई पत्तन न्यास, बम्बई (पांच) मजगाओं डाक लि०, बम्बई

1	2	3
9. श्री जी वेंकटस्वामी		(छः) बांद्रा लोको शैड, बम्बई
10. श्री समरेन्द्र कुण्दू		(सात) कर्नाक बन्दर गुड्स शैड, बम्बई
11. श्री प्रेम मनोहर		(आठ) कच्चे लोहे की खानें, बिचोलिम गोआ
		(नौ) मारमुगाओं बन्दरगाह मारमुगाओं (गोआ)
		(दस) मैसर्स चौगुले एण्ड क० (प्रा) लि०, मारमुगाओं का कच्चे खनिज का मशीन चालित ढुलाई केन्द्र
अध्ययन ग्रुप–3 (मैसूर तथा मद्रास)	7 से 12 अक्टूबर 1968	(एक) बंगलौर रेलवे स्टेशन पर रेलवे कोयला ढुलाई केन्द्र
1. श्री काशीनाथ पांडेय–सभापति		(दो) जल विद्युत परियोजना शारावती
2. श्री राम कृष्ण गुप्त		(तीन) रेलवे कोयला ढुलाई केन्द्र, बेसिन ब्रिज, मद्रास
3. श्री एस० डी० पाटिल		
4. पंडित भवानी प्रसाद तिवारी		(चार) मद्रास पत्तन न्यास, मद्रास
5. श्री श्रीमन प्रफुल्ल गोस्वामी		(पांच) डालमिया मैगनासाइट निगम, सेलम
6. श्री दलपत सिंह		
7. श्री ए० सी० गिलबर्ट		
8. श्री ब्रह्मा नन्द पांडे		
9. श्री सूरज प्रसाद		
10. श्री रेवती कांत सिन्हा		(छः) मंगलौर बन्दरगाह परियोजना
		(सात) बीड़ी कारखाने मंगलौर
		(आठ) मंगलौर बन्दर
		(नौ) नई मंगलौर हसन रेलवे लाइन का निर्माण स्थल
		(दस) बोण्डल खान, मंगलौर
अध्ययन ग्रुप–4– (आन्ध्र प्रदेश तथा उड़ीसा)	11 से 16 अक्टूबर 1968	(एक) दक्षिण मध्य रेलवे हैदराबाद के प्रशासनिक भवन खंड का निर्माण स्थल
		(दो) हैदराबाद अल्विन मेटल वर्क्स लि० हैदराबाद
1. श्री काशीनाथ पांडेय–सभापति		(तीन) हैदराबाद असबस्टस सीमेंट टाइपल्ले
2. श्री आर० के० अमीन		(पांच) आन्ध्र सीमेंट कम्पनी विजयवाड़ा
3. श्री श्रीचन्द गोयल		(छः) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि० विशाखापत्तनम्
4. श्री बी० शंकरानन्द		(सात) विशाखापत्तनम पत्तन
5. श्री के० आनंद नम्बियार		(आठ) काल्टेक्स आयल रिफाइनरीज (इंडिया) लि० विशाखापत्तनम्
6. श्री खगपति प्रधानी		
7. श्री विश्वनारायण शास्त्री		(नौ) ओरियंटल पेपर मिल्स बृजराज नगर उड़ीसा
8. श्री समरेंद्र कुंदु		
9. श्री सुन्दर सिंह मणि पटेल		(दस) राउरकेला इस्पात कारखाना राउरकेला
10. श्री सन्दा नारायणप्पा		
11. श्री शेरखान		
12. श्री विनय कुमार महन्ती		

परिशिष्ट पाँच

(देखिये प्रतिवेदन का पैरा 11)

संयुक्त समिति के समक्ष साक्ष्य सदस्य देने वाले पक्षों के नामों की सूची

क्रम संख्या	पक्षों का नाम	साक्ष्य लेने की तारीख
1	भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (उ० प्र०), लखनऊ	20-6-68
2	अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, नई दिल्ली	20-6-68
3	दक्षिण रेलवे कर्मचारी यूनियन, गोल्डन राक (तिरुचि, दक्षिण भारत) . . .	20-6-68
4	अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी फैडरेशन, नई दिल्ली	22-6-68
5	भारतीय रेलवे कर्मचारियों की राष्ट्रीय फैडरेशन, नई दिल्ली तथा भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, नई दिल्ली	22-6-68
6	अखिल भारतीय निर्माता संगठन, बम्बई	26-9-68
7	भारतीय नियोजक फैडरेशन, बम्बई, और अखिल भारतीय औद्योगिक नियोजक संगठन, नई दिल्ली	26-9-68
8	हिन्द मजदूर सभा, बम्बई	27-9-68
9	रेलवे बोर्ड	28-9-68
10	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग	28-9-68
11	मिनरल्स एण्ड मेटल्स ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया लि०, नई दिल्ली . . .	28-9-68
12	कलकत्ता चाय व्यापारी संस्था, कलकत्ता	23-11-68

परिशिष्ट छः

संविद श्रमिक (विनियमन तथा उत्पादन) विधेयक, 1967 सम्बन्धी संयुक्त समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश

1

पहली बैठक

समिति की बैठक मंगलवार, 14 मई, 1968 को 11.00 से 12.00 बजे तक हुई ।

उपस्थित

श्री जयसुख लाल हाथी——पीठासीन

सदस्य

(लोक सभा)

2. श्री आर० के० अमीन
3. श्री श्रीचन्द गोयल
4. श्री रामकृष्ण गुप्त
5. श्री एस० सी० जमीर
6. डा० रानेन सेन
7. कुमारी कमला कुमारी
8. श्री भजहरि मेहतो
9. श्री एस० डी० पाटिल
10. डा० शिशिर कुमार साहा
11. श्री देवेन सेन
12. श्री शशि भूषण
13. श्री पी० एम० सईद

(राज्य सभा)

14. श्री विनय कुमार महन्ती
15. श्री दलपत सिंह
16. पंडित भवानी प्रसाद तिवारी
17. श्री श्यामधर मिश्र
18. श्री शेरखां
19. श्री सन्दा नारायणप्पा
20. श्री सुन्दर मणि पटेल
21. श्री प्रेम मनोहर
22. श्री रेवती कान्त सिंह
23. श्री ब्रह्मानन्द पंडा

श्रम तथा रोजगार विभाग के प्रतिनिधि

1. डा० एस० टी० मेरानी, संयुक्त सचिव
2. श्री एच० के० चौधरी, विशेष-कार्य-अधिकारी विधि
3. श्री सी० आर० नायर, अवर सचिव

सचिवालय

श्री मेहर चन्द चावला—उप-सचिव

2. समिति के सभापति श्री काशीनाथ पांडेय की अनुपस्थिति में श्री एस० सी० जमीर को नियम 258 (3) के अन्तर्गत इस बैठक का सभापति चुना गया। बाद में श्री जयसुख लाल हाथी पीठासीन हुए।

3. बैठक के आरम्भ में समिति ने इस बात पर विचार किया कि क्या विधेयक के बारे में साक्ष्य लिया जावे या नहीं। कुछ चर्चा के पश्चात् यह निश्चय किया गया कि प्रेस-विज्ञप्ति जारी करके सार्वजनिक निकायों, ट्रेड-युनियनों, संगठनों, संस्थाओं तथा व्यक्तियों से 8 जून, 1968 तक विधेयक के सम्बन्ध में ज्ञापन आमन्त्रित किये जाएं। समिति ने प्रेस विज्ञप्ति (अनुबन्ध) का अनुमोदन किया।

4. समिति ने सभापति को अधिकार दिया कि वह इन पक्षों से लिखित ज्ञापन प्राप्त हो जाने के बाद मौखिक साक्ष्य के लिए उनमें से पक्षों का चुनाव करेंगे और प्रत्येक के लिए समय तथा तारीख नियत करेंगे।

5. समिति ने यह भी निश्चय किया कि वह ट्रेड-यूनियनों के चार अखिल भारतीय प्रतिनिधि केन्द्रीय संगठनों तथा दो रेलवे ट्रेड-यूनियन फैडरेशनों के प्रतिनिधियों की बात सुनेगी—अर्थात् भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, हिन्द मजदूर सभा, युनाइटेड ट्रेड-यूनियन कांग्रेस, अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी फैडरेशन तथा भारतीय रेलवे कर्मचारियों की राष्ट्रीय फैडरेशन।

6. समिति ने यह भी निश्चय किया कि राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से कहा जाये कि वे विधेयक के उपबन्धों का व्यापक प्रचार करें और यदि उनकी कोई टिप्पणियाँ हों तो उन्हें समिति की जानकारी के लिए 15 जून, 1968 तक भेज दें।

7. समिति ने इच्छा व्यक्त की कि श्रम तथा रोजगार विभाग से एक विवरण भेजने के लिए कहा जाये जिसमें उन उद्योगों के नाम दिये हों जिनमें प्रायः संविद् श्रमिक लगाये जाते हैं। इस सम्बन्ध में कोयला, अभ्रक उद्योगों, रेलवे, पत्तन तथा गोदियों आदि का उल्लेख किया गया।

8. कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया कि समिति को कुछ ऐसे अध्ययन ग्रुप गठित करने चाहिएं जो संविद् श्रमिकों की बहुतायत वाले कुछ क्षेत्रों/पट्टियों आदि में संविद् श्रमिकों के सामने आने वाली विभिन्न बातों का तत्स्थानीय अध्ययन करें। थोड़ी चर्चा के पश्चात् यह निश्चय किया गया कि इस मामले पर तभी विचार किया जाये जब सम्बन्धित विभिन्न पक्षों से ज्ञापन मिल जायें और मौखिक साक्ष्य सुन लिये जायें।

9. तत्पश्चात् समिति ने निश्चय किया कि विधेयक के बारे में मौखिक साक्ष्य सुनने के लिए 20 से 22 जून, 1968 तक प्रत्येक दिन बैठक होगी। (मध्याह्न पूर्व तथा पश्चात् दोनों ही समय)।

इसके पश्चात् समिति स्थगित हुई।

अनुबन्ध

लोक-सभा सचिवालय

प्रेस विज्ञप्ति

संविद् श्रमिक (विनियमन और उत्सादन) विधेयक, 1967 सम्बन्धी संसद् की संयुक्त समिति ने आज अपनी पहली बैठक में फैसला किया कि समिति के विचारार्थ विधेयक पर ज्ञापन प्रस्तुत करने के इच्छुक सार्वजनिक निकायों, संगठनों, संस्थाओं और व्यक्तियों को प्रत्येक ज्ञापन की 60 प्रतियां भेज देनी चाहिएं जो सचिव, लोकसभा सचिवालय, संसद् भवन, नई दिल्ली, को 8 जून, 1968 को या इससे पहले पहुंच जायं। जो ज्ञापन समिति को प्रस्तुत किये जायेंगे वे समिति के रिकार्ड में रहेंगे और उन्हें पूर्णत: गोपनीय रखा जाना चाहिए और किसी को भी परिचालित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी कार्रवाई समिति के विशेषाधिकार का उल्लंघन होगा।

ज्ञापन भेजने के साथ-साथ, जो कोई समिति के समक्ष मौखिक साक्ष्य देने के इच्छुक हों उनसे निवेदन है कि वे इस आशय की सूचना समिति के विचारार्थ लोक सभा सचिवालय को दे दें।

लोक-सभा में पेश किये गये रूप में संविद् श्रमिक (विनियमन और उत्सादन) विधेयक, 1967 भारत के असाधारण राजपत्र, भाग 2, खण्ड 2, दिनाँक 31 जुलाई, 1967 में प्रकाशित किया गया था।

मौखिक साक्ष्य की सुनवाई के लिए समिति की बैठक गुरुवार, 20 जून, 1968 को नई दिल्ली में होगी।

नई दिल्ली;
दिनाँक 14 मई, 1968।

दो

दूसरी बैठक

समिति की गुरुवार 20 जून, 1968 को 10.00 बजे से 13.00 बजे तक और फिर 15.00 बजे से 16.30 बजे तक बैठक हुई।

उपस्थित

श्री काशी नाथ पाण्डेय—सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री आर० के० अमीन
3. श्री एम० देवीकन
4. श्री के० आर० गणेश
5. श्री श्रीचन्द गोयल
6. श्री राम कृष्ण गुप्त
7. डा० रानेन सेन
8. कुमारी कमला कुमारी
9. श्री समरेन्द्र कुन्डू
10. श्री भजहरि महतो
11. श्री एस० डी० पाटिल
12. श्री एस० पी० राममूर्ति
13. डा० शिशिर कुमार साहा

14. श्री पी० एम० सईद
15. श्री देवेन सेन
16. श्री एस० एम० सोलंकी
17. श्री आर० एस० विद्यार्थी
18. श्री के० आनन्द नम्बियार
19. श्री शशि भूषण
20. श्री विश्व नारायण शास्त्री

राज्य सभा

21. श्री अनन्त प्रसाद शर्मा
22. श्री ए० सी० गिल्बर्ट
23. पंडित भवानी प्रसाद तिवारी
24. श्री श्रीमन प्रफुल्ल गोस्वामी
25. श्री सन्दा नारायणप्पा
26. श्री सुन्दर मणि पटेल
27. श्री प्रेम मनोहर
28. श्री रेवती कान्त सिन्हा
29. श्री सूरज प्रसाद
30. श्री ब्रह्मानन्द पांडा
31. श्री जय सुख लाल हाथी
32. श्री दलपत सिंह

वैधानिक परामर्शदाता

श्री पी० एल० गुप्त, अतिरिक्त वैधानिक परामर्शदाता, विधि मंत्रालय

श्रम तथा रोजगार विभाग के प्रतिनिधि

1. श्री आर० बी० शुक्ल, निदेशक, औद्योगिक सम्बन्ध
2. श्री एच० के० चौधरी, विशेष कार्य अधिकारी, (विधि)
3. श्री ओ० वेंकटाचलम, श्रम मुख्य आयुक्त (केन्द्रीय)
4. श्री एस० सी० गुप्त, श्रम उप मुख्यायुक्त (केन्द्रीय)
5. श्री एस० एस० सहस्रनायन, अवर सचिव ।

सचिवालय

श्री मेहर चन्द चावला––उप सचिव ।

निम्नलिखित साक्षियों द्वारा साक्ष्य दिये जाने से पूर्व, सभापति ने उनका ध्यान अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेशों के निदेश संख्या 58 की ओर आकर्षित किया :

एक : श्री पी० के० शर्मा, संगठन मंत्री,
भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ कांग्रेस (उत्तर प्रदेश), लखनऊ
[10.00 से 11.40 बजे तक]

दो : अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस, नई दिल्ली ।

(एक) श्री के० जी० श्रीवास्तव, मंत्री ।

(दो) श्री एम० अच्युतन, मंत्री ।

(तीन) श्री निहार मुकर्जी, मंत्री, वर्क्स फैडरेशन ।

[11.45 से 12.55 बजे तक]

2. साक्ष्य का शब्दशः रिकार्ड रखा गया ।

3. समिति 13.00 बजे मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित हुई ।

दो

4. समिति मध्याह्न भोजन के पश्चात् 15.00 बजे पुनः समवेत हुई ।

5. सभापति ने बताया कि संविद् श्रमिक (विनियमन और उत्सादन) विधेयक, 1967 सम्बन्धी संयुक्त समिति ने 14 मई, 1968 को हुई अपनी पहली बैठक में फैसला किया था कि सार्वजनिक निकायों, कार्मिक संघों, संगठनों, संस्थाओं और व्यक्तियों से विधेयक पर 8 जून, 1968 तक ज्ञापन आमंत्रित करने और मौखिक साक्ष्य देने के लिए अनुरोध प्राप्त करने के लिए एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाये । इसके साथ-साथ, सब राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों, रेलवे बोर्ड, राष्ट्रीय कोयला विकास निगम जैसे संविद् श्रमिकों के नियोजनों के 11 प्रतिनिधि निकायों तथा प्रतिनिधि अखिल भारतीय कार्मिक संघों/फैडरेशनों तथा संगठनों को जिनके नाम अनुबन्ध में दिये गये हैं, विशेष तौर से लिखा गया था कि वे विधेयक के उपबन्धों पर 15 जून, 1968 तक अपनी टिप्पणियां दें और यदि वे ऐसा चाहें तो मौखिक साक्ष्य भी दें ।

प्रेस विज्ञप्ति जारी करने पर और विभिन्न सरकारों तथा पार्टियों को भेजे गये पत्रों के उत्तर में, निम्नलिखित से टिप्पणियां ज्ञापन प्राप्त हुए और उन्हें संयुक्त समिति के सदस्यों को परिचालित किया गया :

(1) आसाम सरकार

(2) हरियाणा सरकार

(3) पांडिचेरी सरकार

(4) अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस, नई दिल्ली

(5) भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ कांग्रेस (उ० प्र०), लखनऊ

(6) संयुक्त मजदूर संघ कांग्रेस, कलकत्ता

(7) अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी फैडरेशन, नई दिल्ली

(8) दक्षिण रेलवे कर्मचारी संघ, तिरुचि

(9) दक्षिण रेलवे कर्मचारी संघ, मदुरै शाखा, मदुरै

निम्नलिखित पार्टियों को, जो मौखिक साक्ष्य देने की इच्छक थीं, साक्ष्य देने के लिए संयुक्त समिति के समक्ष उपस्थित होने की अनुमति दी गई :

(1) भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ कांग्रेस (उ० प्र०), लखनऊ

(2) अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस, नई दिल्ली

(3) दक्षिण रेलवे कर्मचारी संघ, तिरुचि

(4) दक्षिण रेलवे कर्मचारी संघ, मदुरै

(5) अखिल भारतीय गलीचा निर्माता संघ, भदोही (उ० प्र०)

आखिरी दो पार्टियों ने इस बीच कहा था कि वे 20 या 21 जून, 1968 को समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हों सकेंगे । अतः 21 जून, 1968 को किसी साक्षी को साक्ष्य नहीं देना होगा । सभापति ने यह भी बताया कि उसी समय सचिवालय में संयुक्त सचिव, नेशनल फैडरेशन आफ इंडियन रेलवेमेन से एक पत्र प्राप्त हुआ था वह कि 22 जून, 1968 को समिति के समक्ष उपस्थित होंगे । इसलिए एन० एफ० आई० आर० के इस प्रतिनिधि की सुनवाई के लिए समिति की बैठक शनिवार, 22 जून, 1968 को 11.00 बजे होगी ।

सभापति ने यह भी सुझाव दिया कि 20 जून, 1968 को उसके समक्ष दिये गये साक्ष्य के पुनर्विलोकन के लिए समिति की बैठक 21 जून, 1968 को 11.00 बजे हो और उसमें संशोधनों की सूचनाएं दिये जाने और विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करने के लिए अपना भावी कार्यक्रम भी तैयार किया जाये।

सभापति ने समिति को यह भी बताया कि यह सुझाव दिया गया था कि समिति नियोजनों के कुछ अखिल भारतीय संगठनों और बैंकिंग उद्योग से विधेयक पर ज्ञापन आमंत्रित करे और उनसे यह भी कहे कि क्या वे समिति के समक्ष साक्ष्य देने के लिए तैयार हैं। अपने ज्ञापन प्रस्तुत करने के लिए उन्हें कम से कम एक मास का समय देना होगा।

सभापति ने कहा कि यदि समिति चालू अन्तः सत्रावधि के दौरान सभी चरणों को पूरा न कर सके, अपनी चर्चाएं समाप्त न कर सके और अपने प्रतिवेदन को, जो प्रस्ताव के अनुसार अगले सत्र के पहले दिन सभा में पेश किया जाना है अन्तिम रूप दे कर उसे स्वीकृत न कर सके, तो उसे प्रतिवेदन पेश करने का समय संसद् के शरदकालीन सत्र तक बढ़ाये जाने के लिए कहना पड़ेगा।

6. समिति ने विधेयक के उपबन्धों पर उनका साक्ष्य रिकार्ड करने के लिए (एक) रेलवे बोर्ड, (दो) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, (तीन) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम, रांची, (4) कलकत्ता बम्बई और मद्रास पत्तन न्यासों के आयुक्तों, और (पांच) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के प्रतिनिधियों को बुलाने का भी फैसला किया जो सरकारी क्षेत्र में श्रमिकों के सबसे बड़े नियोजक हैं। समिति ने इस प्रयोजनार्थ सितम्बर, 1968 के उत्तरार्द्ध में किसी समय बैठक करने का फैसला किया जिसके लिए तारीखें बाद में निश्चित की जानी थीं।

7. समिति ने अपना प्रतिवेदन पेश करने के लिए समय संसद् के शरद्कालीन सत्र के दूसरे सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने के लिए कहने का फैसला किया। उसने सभापति को प्राधिकृत किया कि वह अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देशों के निर्देश 79(2) के अनुसार यह बात अध्यक्ष के ध्यान में भी लाये।

8. समिति ने सभापति को, और उसकी अनुपस्थिति में श्री के० आन्दन नम्बियार को प्राधिकृत किया कि वह अगले सत्र के पहले दिन, अर्थात् 22 जुलाई, 1968 को समय बढ़ाये जाने के लिए सभा में प्रस्ताव पेश करें।

9. उसके पश्चात् 14.20 बजे निम्नलिखित साक्षी को बुलाया गया। उसके द्वारा साक्ष्य देना आरम्भ करने से पूर्व उस का ध्यान अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देशों के निर्देश 58 की ओर आकर्षित किया गया :

श्री वी० सुन्दरमूर्ति, सह सचिव, दक्षिण रेलवे कर्मचारी संघ, गोल्डन राक, तिरुचि (एस० आई०)।

10. साक्ष्य 16.30 बजे समाप्त हुआ। साक्ष्य का शब्दशः रिकार्ड रखा गया।

11. उसके पश्चात् समिति 21 जन, 1968 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

परिशिष्ट

1. हिन्द मजदूर सभा, बम्बई
2. भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ कांग्रेस, नई दिल्ली
3. अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस, नई दिल्ली
4. युनाईटेड ट्रेड्स यूनियन कांग्रेस, कलकत्ता-10
5. अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी फैडरेशन, नई दिल्ली
6. राष्ट्रीय कोयला विकास निगम कर्मचारी यूनियन, रांची (बिहार)
7. राष्ट्रीय कोयला विकास, निगम, रांची (बिहार)
8. रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली
9. भारतीय रेलवे कर्मचारियों की राष्ट्रीय फैडरेशन, नई दिल्ली
10. कोयला खान मजदूर कांग्रेस, आसनसोल (पश्चिमी बंगाल)
11. भारतीय खान कर्मचारी फैडरेशन, झरिया (बिहार)

तीन

तीसरी बैठक

समिति की बैठक शुक्रवार, 21 जून, 1968 को 11.00 से 12.00 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री काशी नाथ पाण्डेय—सभापति

सदस्य

लोक-सभा

2. श्री आर० के० अमीन
3. श्री के० आर० गणेश
4. श्री श्रीचन्द गोयल
5. श्री राम कृष्ण गुप्त
6. डा० रानेन सेन
7. कुमारी कमला कुमारी
8. श्री समरेन्द्र कुन्डू
9. श्री भजहरि महतो
10. श्री के० आनन्द नम्बियार
11. श्री एस० डी० पाटिल
12. श्री एस० पी० राममूर्ति
13. श्री पी० एम० सईद
14. डा० शिशिर कुमार साहा

15. श्री देवेन सेन
16. श्री विश्व नारायण शास्त्री
17. श्री रा० स्व० विद्यार्थी

राज्य सभा

18. श्री अनन्त प्रसाद शर्मा
19. श्री दलपत सिंह
20. श्री ए० सी० गिल्बर्ट
21. श्री शेरखां
22. पंडित भवानी प्रसाद तिवारी
23. श्री श्रीमन प्रफुल्ल
24. श्री सन्दा नारायण
25. श्री रेवती कान्त सिन्हा
26. श्री सूरज प्रसाद
27. श्री ब्रह्मा नन्द पंडा
28. श्री जयसुख लाल हाथी

वैधानिक परामर्शदाता

श्री पी० एल० गुप्त, अतिरिक्त वैधानिक परामर्शदाता, विधि मंत्रालय

श्रम तथा रोज़गार विभाग के प्रतिनिधि

1. श्री आर० बी० शुक्ल, निदेशक, औद्योगिक सम्बन्ध
2. श्री एच० के० चौधरी, विशेष कार्य अधिकारी, (विधि)
3. श्री ओ० वेंकताचालम, श्रम मुख्य आयुक्त (केन्द्रीय)
4. श्री एस० सी० गुप्त, श्रम उप मुख्यायुक्त (केन्द्रीय)
5. श्री एस० एस० सहस्रनामन, अवर सचिव ।

सचिवालय

श्री मेहर चन्द चावला--उप-सचिव ।

2. कुछ सदस्यों ने समिति की पहली बैठक में रखे गये इस सुझाव का उल्लेख किया कि निजी तथा सरकारी क्षेत्र दोनों ही में देश के कुछ क्षेत्रों/पट्टियों के जिनमें संविद् श्रमिकों की बहुतायत है, संविद् श्रमिकों से सम्बन्धित विभिन्न मामलों का अध्ययन करने के लिए वहां का दौरा किया जाये । कुछ चर्चा के बाद समिति ने देश के उन विभिन्न क्षेत्रों का, जहां पर संविद् श्रमिक भारी संख्या में नियोजित हैं, तत्स्थानीय अध्ययन दौरा करने का निश्चय किया ताकि उन परिस्थितियों की, जिनमें ऐसे श्रमिक काम करते हैं, पूरी-पूरी जानकारी हो जाये । इस उद्देश्य से समिति ने अपने तीन अध्ययन ग्रुप बनाने का निश्चय किया और सभापति को यह अधिकार दिया कि सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई अधिमान्यता को ध्यान में रख कर तीन ग्रुप इस प्रकार गठित करे कि प्रत्येक ग्रुप में सदस्यों की संख्या 14 से अधिक न हो । समिति ने निश्चय किया कि प्रत्येक ग्रुप द्वारा किये जाने वाले अध्ययन दौरे की अवधि 7 से 10 दिन तक की होनी चाहिए और इन अध्ययन ग्रुपों को निम्नलिखित स्थानों का दौरा करना चाहिए :--

(1) पश्चिमी बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा

(2) मद्रास, मैसूर तथा आन्ध्र प्रदेश

(3) बम्बई, मध्य प्रदेश तथा गोआ ।

2. समिति ने सभापति को अधिकार दिया कि वह श्रम तथा रोजगार विभाग के परामर्श से दौरों का विस्तृत कार्यक्रम तैयार करें और ये दौरे संसद् के जुलाई-अगस्त सत्र के समाप्त हो जाने के कम से कम एक सप्ताह बाद सितम्बर, 1968 में आरम्भ किये जाने चाहिएं। समिति ने यह भी निश्चिय किया कि प्रत्येक दौरे के आरम्भ होने से पहले प्रेस घोषणा कर दी जानी चाहिए जिससे अध्ययन ग्रुपों के दौरों के कार्यक्रमों तथा प्रयोजनों का सम्बन्धित प्रदेशों में श्रम संगठनों तथा अन्य सम्बन्धित पक्षों को पता चल जाये ताकि यदि वें चाहें तो इन ग्रुपों से मिल सकें। समिति ने यह इच्छा व्यक्त की कि श्रम तथा रोजगार विभाग एक विस्तृत टिप्पणी तैयार करे जिसमें हर प्रदेश के संविद् श्रमिकों के बारे में सब उपयोगी जानकारी दी जाये और इस टिप्पणी को इन दौरों के आरम्भ होने से पहले ही समिति के सदस्यों में परिचालित कर दिया जाये।

4. समिति ने सभापति को अधिकार दिया कि वह प्रस्तावित अध्ययन दौरों के लिए अध्यक्ष महोदय से मिलकर उनका अनुमोदन प्राप्त करें।

5. समिति ने निश्चय किया कि यदि विधेयक में किन्हीं संशोधनों की सूचना देनी हो तो वह 1 अगस्त, 1968 तक लोक सभा सचिवालय के पास पहुंच जानी चाहिए।

6. समिति ने निश्चय किया कि वह विधेयक के उपबन्धों पर अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी फैडरेशन के प्रतिनिधियों की बात 22 जून, 1968 को 10.00 बजे सुनेगा।

7. तत्पश्चात् समिति 22 जून, 1968 को 10 बजे पुनः बैठक के लिए स्थगित हुई।

चार

चौथी बैठक

समिति की बैठक शनिवार, 22 जून, 1968 को 10.00 से 14.00 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री काशीनाथ पांडेय---सभापति

सदस्य

लोक-सभा

2. श्री आर० के० अमीन
3. श्री एम० देवीकन
4. श्री के० आर० गणेश
5. श्री श्रीचन्द गोयल
6. श्री राम कृष्ण गुप्त
7. डा० रानेन सेन
8. कुमारी कमला कुमारी
9. श्री समरेन्द्र कुण्डु
10. श्री भजहरि महतो
11. श्री के० आनन्द नम्बियार
12. श्री एस० डी० पाटिल
13. श्री एस० पी० राममूर्ति
14. डा० शिशिर कुमार साहा
15. श्री पी० एम० सईद
16. श्री देवन सेन
17. श्री शशि भूषण
18. श्री विश्व नारायण शास्त्री
19. श्री रा० स्व० विद्यार्थी

राज्य सभा

20. श्री अनन्त प्रसाद मिश्र
21. श्री दलपत सिंह
22. श्री ए० सी० गिल्बर्ट
23. पंडित भवानी प्रसाद तिवारी
24. श्री शेरखां
25. श्री श्रीमन प्रफुल्ल गोस्वामी
26. श्री सन्दा नारायणप्पा
27. श्री रेवती कान्त सिन्हा
28. श्री सूरज प्रसाद
29. श्री ब्रह्मानन्द पंडा
30. श्री जयसुख लाल हाथी

वैधानिक परामर्शदाता

श्री पी० एल० गुप्त, अतिरिक्त वैधानिक परामर्शदाता, विधि मंत्रालय ।

श्रम तथा रोजगार विभाग के प्रतिनिधि

1. श्री आर० बी० शुक्ल, निदेशक, औद्योगिक सम्बन्ध
2. श्री एच० के० चौधरी, विशेष-कार्य अधिकारी (विधि)
3. श्री पी० एस० महोदेवन, संयुक्त निदेशक, रेलवे मन्त्रालय
4. श्री एस० एस० सहस्त्रनामन, अवर सचिव
5. श्री एस० सी० गुप्त, श्रम उप मुख्यायुक्त (केन्द्रीय) ।

सचिवालय

श्री मेहरचन्द चावला—उप सचिव ।

2. निम्नलिखित साक्षियों द्वारा साक्ष्य दिये जाने से पूर्व सभापति ने उनका ध्यान अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 58 के उपबन्धों की ओर दिलाया :

1. **अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी फेडरेशन, नई दिल्ली**

श्री जे० पी० चौबे—कोषाध्यक्ष

(10.00 से 11.55 बजे तक)

2. **भारतीय रेलवे कर्मचारी राष्ट्रीय फेडरेशन, नई दिल्ली**

तथा

भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ कांग्रेस, नई दिल्ली

श्री केशव एच० कुलकर्णी

संयुक्त महासचिव, भारतीय रेलवे कर्मचारी राष्ट्रीय फेडरेशन तथा सदस्य, भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ कांग्रेस, केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति

(12.00 से 14.00 बजे तक)

3. साक्ष्य का अक्षरशः अभिलेख रखा गया ।

4. समिति ने निश्चय किया कि रेलवे बोर्ड से कहा जाये कि वह अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी फेडरेशन के प्रतिनिधियों द्वारा समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य से उत्पन्न निम्नलिखित बातों के बारे में जानकारी दे :—

(एक) भारतीय रेलवे के विभिन्न विभागों में जैसे कि इंजीनियरी, परिवहन (यातायात) तथा वाणिज्यिक, बिजली तथा मकनिकल इंजीनियरी जिसमें लोको तथा कैरिज वर्कशाप/शैड भी शामिल है, नियोजित 'संविद्' या 'आकस्मिक' श्रमिकों के वर्ग कौन-कौन से हैं तथा उन्होंने किस प्रकार का कार्य किया ;

(दो) क्या रेलवे में 'संविद्' या 'आकस्मिक' श्रमिकों द्वारा पुनः पटरी बिछाने का काम कराया गया ;

(तीन) क्या किसी भारतीय रेलवे में रेलवे इंजिनों में 'संविद्' या 'आकस्मिक' श्रमिकों को लगाया गया; और

(चार) लगातार चलने रहने वाले कार्य विभाग-वार किस प्रकार के थे जिनमें कि 'संविद्' या 'आकस्मिक' श्रमिक लगाये गये ।

5. तत्पश्चात् समिति अगले सत्र में किसी तारीख को, जिसे सभापति नियत करें, फिर से बैठक के लिए स्थगित हुई ।

पांच

पांचवीं बैठक

समिति की बैठक मंगलवार, 27 अगस्त, 1968 को 10.15 से 10.55 बजे तक हुई ।

उपस्थित

श्री काशी नाथ पांडेय ––सभापति

सदस्य

लोक-सभा

2. श्री आर० के० अमीन
3. श्री श्रीचन्द गोयल
4. श्री राम कृष्ण गुप्त
5. श्री एस० सी० जमीर
6. श्री एस० डी० पाटिल
7. श्री वी० शंकरानन्द
8. श्री एस० एम० सोलंकी
9. श्री रा० स्व० विद्यार्थी
10. श्री वीरभद्र सिंह

राज्य सभा

11. श्री दलपत सिंह
12. पंडित भवानी प्रसाद तिवारी
13. श्री शेर खां
14. श्री श्रीमन प्रफुल्ल गोस्वामी
15. श्री सन्दा नारायणप्पा
16. श्री सुन्दर मणि पटेल
17. श्री रेवती कान्त सिन्हा
18. श्री सूरज प्रसाद

वैधानिक परामर्शदाता

श्री एस० हरिहर अय्यर––अतिरिक्त वैधानिक परामर्शदाता, विधि मंत्रालय

श्रम तथा रोजगार विभाग के प्रतिनिधि

1. श्री एन० एन० चटर्जी, संयुक्त सचिव
2. श्री आर० बी० शुक्ल, निदेशक, औद्योगिक सम्बन्ध
3. श्री एच० के० चौधरी, विशेष कार्य अधिकारी (विधि)
4. श्री एस० सी० गुप्त, श्रम उप मुख्यायुक्त (केन्द्रीय)
5. श्री सी० आर० नायर, अवर सचिव ।

सचिवालय

श्री मेहरचन्द चावला––उप-सचिव ।

2. आरम्भ में सभापति ने सदस्यों को अवगत कराया कि अध्यक्ष महोदय के परामर्श से उन्होंने निश्चय किया है कि सितम्बर/अक्तूबर, 1968 में तत्स्थानीय अध्ययन दौरों के लिए जैसा कि 21 जून, 1968 को हुई संयुक्त समिति

की तीसरी बैठक में समिति को तीन ग्रुपों में बांटे जाने का निश्चय किया गया था उसके बजाय, निम्नलिखित चार ग्रुपों में बांटा जायेगा :--

(एक) अध्ययन ग्रुप 1--पश्चिमी बंगाल तथा बिहार का दौरा करने के लिए

(दो) अध्ययन ग्रुप 2--महाराष्ट्र तथा गोआ का दौरा करने के लिए

(तीन) अध्ययन ग्रुप 3--मैसूर तथा मद्रास का दौरा करने के लिए

(चार) अध्ययन ग्रुप 4--आन्ध्र प्रदेश तथा उड़ीसा का दौरा करने के लिए ।

3. समिति ने इन चार अध्ययन ग्रुपों के दौरों के कार्यक्रमों का अनुमोदन किया ।

4. इसके बाद समिति ने निश्चय किया कि विधेयक के उपबन्धों पर निम्नलिखित संगठनों के प्रतिनिधियों के साक्ष्य आगे सुनने के लिए उसकी बैठकें 26 से 28 सितम्बर, 1968 को होंगी :--

(एक) अखिल भारतीय निर्माता संगठन, बम्बई

(दो) हिन्द मजदूर सभा, बम्बई

(तीन) भारतीय नियोजक फैडरेशन, बम्बई

(चार) अखिल भारतीय औद्योगिक नियोजक संगठन, नई दिल्ली

(पांच) रेलवे बोर्ड

तत्पश्चात् समिति 26 सितम्बर, 1968 को 11.00 बजे पुनः बैठक करने का निश्चय कर स्थगित हुई ।

छः

छठी बैठक

समिति की बैठक गुरुवार, 26 सितम्बर, 1968 को 11.00 बजे से 13.05 बजे तक और फिर 15.00 बजे से 17.15 बजे तक हुई ।

उपस्थित

श्री काशीनाथ पाण्डेय--सभापति

सदस्य

लोक-सभा

2. श्री आर० के० अमीन
3. श्री एम० देवीकन
4. श्री श्रीचन्द गोयल
5. श्री राम कृष्ण गुप्त
6. डा० रानेन सेन
7. श्री हुकम चन्द कछवाय
8. कुमारी कमला कुमारी
9. श्री के० आनन्द नम्बियार
10. श्री एस० डी० पाटिल
11. श्री एस० पी० राममूर्ति
12. श्री विश्वासराय नरसिम्हा राव
13. डा० शिशिर कुमार साहा
14. श्री पी० एम० सईद
15. श्री देवेन सेन
16. श्री बी० शंकरानन्द
17. श्री विश्वनारायण शास्त्री
18. श्री एस० एम० सोलंकी
19. श्री रा० स्व० विद्यार्थी
20. श्री वीरभद्र सिंह
21. श्री दा० रा० चह्वाण
21क. श्री के० आर० गणेश
21ख. श्री समरेन्द्र कुन्दू

राज्य-सभा

22. श्री विनय कुमार महन्ती
23. श्री दलपत सिंह
24. श्री ए० सी० गिलबर्ट
25. पंडित भवानी प्रसाद तिवारी
26. श्री शेर खां
27. श्री श्रीमन् प्रफुल्ल गोस्वामी
28. श्री सन्दा नारायणप्पा
29. श्री प्रेम मनोहर
30. श्री रेवती कान्त सिन्हा
31. श्री सूरज प्रसाद
32. श्री ब्रह्मानन्द पण्डा
33. श्री जय सुख लाल हाथी

वैधानिक परामर्श-दाता

श्री पी० एल० गुप्त, अतिरिक्त वैधानिक परामर्श-दाता, विधि मन्त्रालय

श्रम तथा रोगजार विभाग के प्रतिनिधि

1. डा० एस० टी० मेरानी, संयुक्त सचिव
2. श्री एच० के० चौधरी, विशेष कार्य अधिकारी (विधि)
3. श्री एस० सी० गुप्त, श्रम उप-मुख्यायुक्त (केन्द्रीय)
4. श्री सी० आर० नायर, अवर सचिव

सचिवालय

श्री मेहर चन्द चावला, उप-सचिव ।

2. आरम्भ में ही सभापति ने समिति को बताया कि भारत सरकार के गृह-कार्य मन्त्रालय के नई दिल्ली में स्थित सचिवालय प्रशिक्षण स्कूल द्वारा प्रार्थना की गई है कि इस स्कूल के एक सहायक निदेशक के साथ बारह प्रशिक्षणार्थी अनुभाग अधिकारियों को 28 सितम्बर, 1968 को संयुक्त समिति की कार्यवाही देखने की अनुमति दी जाये, जिससे कि उन्हें यह समझाया जा सके कि संसदीय समिति वास्तव में किस प्रकार कार्य करती है ।

समिति को बताया गया कि इस प्रार्थना के समर्थन में कोई पूर्वोदाहरण नहीं है । कुछ चर्चा के पश्चात् समिति सहमत हो गई कि प्रशिक्षणार्थी अधिकारियों को 28 सितम्बर, 1968 को समिति की कार्यवाही देखने की अनुमति दे दी जाये । तथापि यह निर्णय किया गया कि उनको चेतावनी दी जाये कि वह समिति की कार्यवाही के सम्बन्ध में किसी को न बतायें ।

3. निम्नलिखित गवाहों द्वारा साक्ष्य दिये जाने से पूर्व, सभापति द्वारा उनका ध्यान अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेशों के निदेश 58 के उपबन्धों की ओर दिलाया गया ।

अखिल भारतीय निर्माता संगठन (आल इंडिया मैन्यूफैक्चर्स आरगनाइजेशन), बम्बई

प्रवक्ता :

(एक) श्री बी० डी० सोमानी

(दो) श्री एन० डी० साहूकार, और

(तीन) श्री हेम चन्द जैन

[11.00 बजे से 13.05 बजे तक]

4. 13.05 बजे समिति मध्यान्ह भोजन के लिये स्थगित हुई।

---

5. मध्यान्ह भोजन के पश्चात् समिति 15.00 बजे पुनः समवेत हुई और निम्नलिखित संगठनों का साक्ष्य सुना :

(i) एम्पलायर्स फैडरेशन आफ इंडिया, बम्बई

और

(ii) आल इण्डिया आर्गेनाइजेशन आफ इंडस्ट्रियल एम्पलायर्स, नई दिल्ली

प्रवक्ता :

(एक) श्री प्राण प्रसाद

(दो) श्री सन्तोष नाथ

(तीन) श्री मदन घोष

(चार) श्री एम० एम० सेठी

[15.00 बजे से 17.15 बज तक]

6. समिति ने संवैधानिक तथा संसदीय अध्ययन संस्था की इस प्रार्थना को स्वीकार किया कि 27 सितम्बर, 1968 के अपरान्ह में होने वाली संयुक्त समिति की कार्यवाही को देखने के लिये उनके फैलोशिप प्रोग्राम (शिक्षावृत्ति कार्यक्रम) (1968-69) के अन्तर्गत फैलोज को अनुमति दी जाये।

7. इसके पश्चात् समिति 27 सितम्बर, 1968 के 15.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

सात

सातवीं बैठक

समिति की बैठक शुक्रवार, 27 सितम्बर, 1968 को 15.00 बजे से 17.00 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री काशी नाथ पाण्डेय—**सभापति**

सदस्य

लोक-सभा

2. श्री आर० के० अमीन
3. श्री एन० अम्बुचेझियान
4. श्री के० आर० गणेश
5. श्री श्रीचन्द गोयल
6. श्री रामकृष्ण गुप्त
7. डा० रानेन सेन

8. श्री हुकम चन्द कछवाय
9. कुमारी कमला कुमारी
10. श्री समरेन्द्र कुन्दू
11. श्री के० ग्रानन्द नम्बियार
12. श्री एस० डी० पाटिल
13. श्री खगपति प्रधानी
14. श्री एस० पी० राममूर्ति
15. श्री विश्वासराय नरसिन्हा राव
16. डा० शिशिर कुमार साहा
17. श्री पी० एम० सईद
18. श्री देवेन सेन
19. श्री बी० शंकरानन्द
20. श्री शशि भूषण
21. श्री एस० एम० सोलंकी
22. श्री रा० स्व० विद्यार्थी
23. श्री वीर भद्र सिंह
24. श्री दा० रा० चव्हाण

राज्य सभा

25. श्री ग्रनन्त प्रसाद शर्मा
26. श्री दलपत सिंह
27. श्री ए० सी० गिलबर्ट
28. पंडित भवानी प्रसाद तिवारी
29. श्री शेर खां
30. श्री श्रीमन प्रफुल्ल गोस्वामी
31. श्री सन्दा नारायणप्पा
32. श्री प्रेम मनोहर
33. श्री रेवती कान्त सिन्हा
34. श्री सूरज प्रसाद
35. श्री ब्रह्मा नन्द पंडा

वैधानिक परामर्श-दाता

श्री पी० एल० गुप्त, ग्रतिरिक्त वैधानिक परामर्श-दाता, विधि मंत्रालय

श्रम तथा रोजगार विभाग के प्रतिनिधि

1. डा० एस० टी० मेरानी, संयुक्त सचिव
2. श्री एच० के० चौधरी, विशेष कार्य ग्रधिकारी (विधि)
3. श्री ग्रो० वेंकताचलम, श्रम मुख्य ग्रायुक्त (केन्द्रीय)

4. श्री एस० सी० गुप्त, श्रम उप-मुख्यायुक्त (केन्द्रीय)

5. श्री सी० आर० नायर, अवर सचिव

6. श्री जे० डी० तिवारी, अवर सचिव

सचिवालय

श्री मेहर चन्द चावला—उप-सचिव

2. 15.15 बजे सभापति के पीठासीन होने से पूर्व, नियम 258(3) के अन्तर्गत श्री श्रीचन्द गोयल उनकी अनुपस्थिति में सभापति चुने गये।

3. श्री गोयल ने उन संसदीय फैलोज का स्वागत किया जिन्हें कार्यवाही देखने की अनुमति दी गई थी।

4. हिन्द मजदूर सभा के निम्नलिखित प्रतिनिधियों द्वारा साक्ष्य दिये जाने से पूर्व उनका ध्यान अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेशों के निदेश 58 की ओर दिलाया गया:—

(1) श्री वी० बी० कुलकर्णी

(2) श्री आर० सी० प्रधान

साक्ष्य 17.00 बजे तक चला।

5. इसके पश्चात् समिति 28 सितम्बर, 1968 क 10.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

आठ

आठवीं बैठक

समिति की बैठक शनिवार, 28 सितम्बर, 1968 को 10.00 बजे से 13.15 बजे तक और फिर 15.00 बजे से 16.10 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री काशी नाथ पाण्डेय—सभापति

सदस्य

लोक-सभा

2. श्री आर० के० अमीन

3. श्री एन० अंबुचेझियान

4. श्री त्रिदिव चौधरी

5. श्री एम० देवीकन

6. श्री के० आर० गणेश

7. श्री श्रीचन्द गोयल

8. श्री रामकृष्ण गुप्त

9. श्री एस० सी० जमीर

10. डा० रानेन सेन

11. श्री हुकम चन्द कछवाय

12. कुमारी कमला कुमारी
13. श्री समरेन्द्र कुन्दू
14. श्री के० ग्रानन्द नम्बियार
15. श्री एस० डी० पाटिल
16. श्री खगपति प्रधानी
17. श्री एस० पी० राममूर्ति
18. श्री विश्वासराय नरसिम्हा राव
19. डा० शिशिर कुमार साहा
20. श्री पी० एम० सईद
21. श्री देवेन सेन
22. श्री बी० शंकरानन्द
23. श्री शशि भूषण
24. श्री एस० एम० सोलंकी
25. श्री रा० स्व० विद्यार्थी
26. श्री वीरभद्र सिंह
27. श्री दा० रा० चव्हाण

राज्य सभा

28. श्री अनन्त प्रसाद शर्मा
29. श्री विनय कुमार महन्ती
30. श्री दलपत सिंह
31. श्री ए० सी० गिलबर्ट
32. पंडित भवानी प्रसाद तिवारी
33. श्री श्यामधर मिश्र
34. श्री शेर खां
35. श्री सन्दा नारायणप्पा
36. श्री रेवती कान्त सिन्हा
37. श्री सूरज प्रसाद
38. श्री ब्रह्मानन्द पंडा
39. श्री जयसुख लाल हाथी
40. श्री श्रीमन प्रफुल्ल गोस्वामी

वैधानिक परामर्श-दाता

श्री पी० एल० गुप्त, अतिरिक्त वैधानिक परामर्श-दाता, विधि मन्त्रालय

श्रम तथा रोजगार विभाग के प्रतिनिधि

1. श्री पी० सी० मैथ्यूज . . . सचिव
2. डा० एस० टी० मेरानी . . . संयुक्त सचिव

3. श्री एच० के० चौधरी . . . विशेष कार्य अधिकारी (विधि)

4. श्री ओ० वेंकटचलम . . . श्रम मुख्य आयुक्त (केन्द्रीय)

5. श्री एस० सी० गुप्त . . . श्रम उप मुख्यायुक्त (केन्द्रीय)

6. श्री सी० आर० नायर . . . अवर सचिव ।

सचिवालय

श्री मेहर चन्द चावला—उप सचिव

2. सभापति की अनुपस्थिति में श्रम मन्त्री, श्री जय सुखलाल हाथी को नियम 258(3) के अन्तर्गत सभापति चुना गया।

3. इसके पश्चात्, इस मास के आरम्भ में रेलवे प्रशासनों के प्रमुखों के साथ संयुक्त समिति के दो अध्ययन दलों की हुई चर्चा के सन्दर्भ में समिति ने विधेयक के उपबन्धों के लिये रेलवे बोर्ड के निम्नलिखित प्रतिनिधियों का परीक्षण किया :—

(एक) श्री बी० सी० गाँगुली सदस्य (कर्मचारी वर्ग)

(दो) श्री पी० एस० महादेवन, संयुक्त सचिव, सिब्बन्दी।

(तीन) श्री बी० के० मित्र, संयुक्त निदेशक, सिविल इंजीनियरी

4. सभापति 10.11 बजे पीठासीन हुए।

5. श्री एस० एस० अहलूवालिया के नेतृत्व में केन्द्रीय सचिवालय प्रशिक्षण स्कूल के 10 प्रशिक्षणार्थी अनुभाग अधिकारियों के एक दल ने समिति की कार्यवाही को देखा।

6. साक्ष्य 12.15 बजे तक चला।

7. इसके पश्चात् समिति ने 12.18 बजे केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के निम्नलिखित प्रतिनिधियों का परीक्षण किया :—

(एक) श्री सी० पी० मलिक चीफ इंजीनियर (विजिलेंस)

(दो) श्री हरीश चन्द्र, सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर

(तीन) श्री एन० सी० सान्याल, विशेष कार्य अधिकारी (श्रम), निर्माण, आवास तथा सम्भरण मन्त्रालय।

(चार) श्री पी० सी० रायजादा, लेबर आफिसर, सी० पी० डब्ल्यू० डी०

8. इसके पश्चात् समिति ने उसके समक्ष दिये गये साक्ष्य तथा विभिन्न अध्ययन दलों द्वारा किये गये तत्स्थानीय अध्ययन दौरों के सन्दर्भ में, विधेयक पर सामान्य चर्चा आरम्भ करने के लिये आगामी सत्र के पश्चात् एक या दो दिन बैठने तथा उसके पश्चात् विधेयक पर खण्डवार विचार आरम्भ करने का निश्चय किया।

समिति ने सभापति को प्राधिकृत किया कि वह निदेश 79(2) के अन्तर्गत अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय बजट सत्र के दूसरे सप्ताह के अन्तिम दिन तक बढ़ाने के लिये अध्यक्ष की अनुमति लें। समिति ने सभापति को, और उनकी अनुपस्थिति में डा० रानेन सेन को, सभा में आवश्यक प्रस्ताव पेश करने के लिये भी प्राधिकृत किया।

9. समिति 13.15 बजे मध्यान्ह भोजन के लिये स्थगित हुई।

10. समिति मध्यान्ह भोजन के पश्चात् 15.00 बजे पुनः समवेत हुई, और 5 सितम्बर, 1968 को संयुक्त समिति के अध्ययन दल 1 द्वारा किये गये तत्स्थानीय अध्ययन के सन्दर्भ में गार्डन रीच जैट्टी, कलकत्ता में निगम के लिये लौह अयस्क की ढुलाई करने वाले श्रमिकों के कार्य की दशा के बारे में मिनरल्ज एण्ड मैटल्ज ट्रेडिंग कारपोरेशन के निम्नलिखित प्रतिनिधियों का परीक्षण किया :—

(एक) डा० ए० एस० शर्मा डायरेक्टर, एम०, एम० टी० सी०

(दो) श्री वी० कल्याणनसुन्द्रम, डिवीजनल मैनेजर, एम० एम० टी० सी०, नई दिल्ली।

(तीन) मेजर डी० के० चन्द्र, रीजनल मैनेजर, एम० एम० टी० सी०, कलकत्ता।

11. साक्ष्य 16.05 बजे तक चला।

12. कलकत्ता टी मर्चेन्ट्स एसोसियेशन, इण्डिया एक्सचेंज, कलकत्ता द्वारा मौखिक साक्ष्य देने के लिये की गई प्रार्थना के संदर्भ में, समिति इसको स्वीकार करने तथा उस प्रयोजन के लिये शनिवार, 23 नवम्बर, 1968 को 11.00 बजे बैठने के लिये सहमत हो गई ।

13. साक्ष्य का शब्दशः रिकार्ड रखा गया था ।

14. इसके पश्चात् समिति स्थगित हुई ।

नौ

नवीं बैठक

समिति की बैठक शनिवार, 23 नवम्बर, 1968 को 11.00 बजे से 12.50 बजे तक हुई ।

उपस्थित

श्री काशी नाथ पाण्डेय—सभापति

सदस्य

लोक-सभा

2. श्री श्रीचन्द गोयल
3. श्री समरेन्द्र कुन्दू
4. श्री भजहरि महतो
5. श्री के० आनन्द नम्बियार
6. श्री एस० पी० राममूर्ति
7. श्री विश्वासराय नरसिम्हा राव
8. श्री देवेन सेन
9. श्री वीरभद्र सिंह
10. श्री दा० रा० चव्हाण

राज्य सभा

11. पंडित भवानी प्रसाद तिवारी
12. श्री श्रीमन प्रफुल्ल गोस्वामी
13. श्री सन्दा नारायणप्पा
14. श्री प्रेम मनोहर
15. श्री जयसुख लाल हाथी

वैधानिक परामर्शदाता

श्री पी० एल० गुप्त—अतिरिक्त वैधानिक परामर्शदाता, विधि मंत्रालय ।

श्रम तथा रोजगार विभाग के प्रतिनिधि

1. श्री बी० आर० शुक्ल, निदेशक औद्योगिक सम्बन्ध
2. श्री एच० के० चौधरी, विशेष कार्य अधिकारी (विधि)
3. श्री आर० जे० टी० डी० मैलो, श्रम उप-मुख्ययुक्त (केन्द्रीय)
4. श्री सी० आर० नायर, अवर सचिव ।

सचिवालय

श्री मेहर चन्द चावला—उप-सचिव ।

2. समिति ने अपनी कार्यवाही 11.30 बजे आरम्भ की चूंकि गणपूर्ति का अभाव था।

3. आरम्भ में सभापति ने कलकत्ता टी मर्चेंटस एसोसियेशन, कलकत्ता के निम्नलिखित प्रतिनिधियों का ध्यान अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेशों के निर्देश 58 की ओर दिलाया :—

(एक) श्री एस० पी० अग्रवाल—उप-सभापति

(दो) श्री पी० एन० राजगोपाल—सहायक सचिव

(तीन) श्री जे० जी० पटेल—सदस्य

4. साक्ष्य 12.40 बजे तक चलता रहा । साक्ष्य का शब्दशः रिकार्ड रखा गया ।

5. इसके पश्चात समिति ने कार्य के भावी कार्यक्रम पर विचार किया । कुछ चर्चा के पश्चात समिति ने विधेयक पर खण्डवार विचार आरम्भ करने के लिये 6 से 8 जनवरी, 1969 तक बैठने का निश्चय किया ।

6. सदस्यों से यह भी प्रार्थना की गई कि वह संशोधनों की अपनी सूचनाएं अधिक से अधिक 31 दिसम्बर, 1968 तक भेज दें ।

7. इसके पश्चात समिति स्थगित हुई ।

दस

दसवीं बैठक

समिति की बैठक सोमवार, 6 जनवरी, 1969 को 10.00 बजे से 13.30 बजे तक हुई ।

उपस्थित

श्री काशी नाथ पाण्डेय —सभापति

सदस्य

लोक-सभा

2. श्री आर० के० अमीन
3. श्री श्रीचन्द गोयल
4. श्री राम कृष्ण गुप्त
5. डा० रानेन सेन
6. कुमारी कमला कुमारी
7. श्री समरेन्द्र कुन्डू
8. श्री भजहरि महतो
9. डा० शिशिर कुमार साहा
10. श्री पी० एम० सईद्र
11. श्री देवेन सेन
12. श्री शशि भूषण
13. श्री विश्व नारायण शास्त्री
14. श्री एस० एम० सोलंकी
15. श्री रा० स्व० विद्यार्थी
16. श्री वीर भद्र सिंह
16क. श्री विश्वासराय नरसिम्हा राव

17. श्री दलपत सिंह
18. श्री ए० सी० गिलबर्ट
19. पंडित भवानी प्रसाद तिवारी
20. श्री शेर खां
21. श्री श्रीमन प्रफुल्ल गोस्वामी
22. श्री सन्दा नारायणप्पा
23. श्री रेवती कान्त सिन्हा
24. श्री ब्रह्मानन्द पाण्डे
25. श्री जय सुख लाल हाथी

वैधानिक परामर्शदाता

श्री पी० एल० गुप्त, अतिरिक्त वैधानिक परामर्शदाता, विधि मंत्रालय

श्रम तथा रोजगार विभाग के प्रतिनिधि

1. डा० एस० टी० मेरानी, संयुक्त सचिव
2. श्री एच० के० चौधरी, विशेष कार्य अधिकारी, (विधि)
3. श्री ओ० वेंकटचलम, श्रम मुख्य आयुक्त (केन्द्रीय)
4. श्री सी० आर० नायर, अवर सचिव
5. श्री एस० सी० गुप्त, श्रम मुख्य उपायुक्त (केन्द्रीय)

सचिवालय

श्री एम० सी० चावला—उप सचिव ।

2. समिति ने विधेयक पर खण्डवार विचार आरम्भ किया ।

3. **खण्ड** 1. अनियत मजदूरों को भी अधिनियम के अन्तर्गत लाने सम्बन्धी संशोधन के बारे में प्रभारी मंत्री ने आश्वासन दिया था कि वह वर्तमान विभिन्न श्रमिक विधियों को अनियत मजदूरों पर लागू करने के प्रश्न की जाँच करेंगे तथा इस बात की भी जाँच करेंगे कि क्या ऐसे अनियत मजदूरों को उन विधियों का लाभ देने के लिये उन विधियों में संशोधन करने की आवश्यकता है ।

जम्मू तथा काश्मीर राज्य पर अधिनियम को लागू करने के बारे में प्रभारी मंत्री ने कहा कि जम्मू तथा काश्मीर राज्य ने अठारह केन्द्रीय श्रमिक अधिनियमों के उस राज्य पर लागू करने के सम्बन्ध में अपनी सहमति दे दी है (देखिये परिशिष्ट) और श्रम तथा रोजगार मंत्रालय ने भी महंगाई संविद श्रमिक कानून के विस्तारण के बारे में उस राज्य को पत्र लिखा है । मंत्री महोदय ने समिति को आश्वासन दिया कि मामला पहले ही विचाराधीन है और इस कानून के विस्तारण के लिये आवश्यक कदम यथा समय उठाये जायेंगे ।

इस खण्ड पर आगे चर्चा रोक दी गई ।

4. **खण्ड** 2.—पर्यवेक्षी कर्मचारियों के वेतन की सीमा को 500 रुपये से बढ़ाकर 750 रुपये प्रति मास करने के प्रश्न के बारे में प्रभारी मंत्री ने बताया कि विधेयक में इस सीमा का सुझाव विभिन्न श्रमिक विधियों के जिसमें औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 शामिल है, तदनुरुपी उपबन्धों के अनुसार दिया गया है । मंत्री महोदय ने मजूरी में वर्तमान बढ़ौत्तरी को देखते हुए कहा कि विभिन्न श्रम विधियों में उस सीमा को बढ़ाने का प्रश्न पहले ही इस मंत्रालय के विचाराधीन है । उन्होंने समिति को आश्वासन दिया कि इस मजूरी सीमा में समानता लाने के लिये सभी श्रमिक विधियों में यथा समय उपयुक्त संशोधन करेंगे ।

यह प्रश्न उठाये जाने पर कि क्या खण्ड 2 (एक) (ग) बीड़ी उद्योग के श्रमिकों पर लागू होता है मंत्री महोदय ने बताया कि बीड़ी और सिगार कर्मचारी (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966 नाम का विशेष कानून है जिसमें उनकी सेवा की शर्तें विनियमित की गई हैं। तथापि, इस प्रश्न की आगे जाँच करने का उन्होंने वचन दिया।

खण्ड पर अग्रेतर विचार रोक दिया गया।

5. इसके पश्चात् समिति ने 7 जनवरी, 1969 को पूरा दिन बैठने का निश्चय किया।

6. समिति मंगलवार, 7 जनवरी, 1969 के 10.30 बज़े तक के लिये स्थगित हुई।

(परिशिष्ट)

उन केन्द्रीय श्रमिक विधियों के नामों की सूची जिनका जम्मू तथा काश्मीर पर विस्तारण करने का विचार है।

---

1. कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923
2. मजदूर संघ अधिनियम, 1926
3. बाल श्रमानुबन्धन अधिनियम, 1933
4. मजूरी भुगतान अधिनियम, 1936
5. नियोजकों का दायित्व अधिनियम, 1938
6. बाल नियोजन अधिनियम, 1938
7. साप्ताहिक छुट्टियाँ अधिनियम, 1942
8. औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946
9. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947
10. कोयला खान श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम, 1947
11. न्यूनतम मजूरी अधिनियम, 1948
12. कारखाना अधिनियम, 1948
13. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948
14. कोयला खान भविष्य निधि और बोनस योजनाएं अधिनियम, 1948
15. श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें तथा विविध उपबन्ध) अधिनियम, 1955
16. मोटर परिवहन श्रमिक अधिनियम, 1961
17. मातृत्व प्रसुविधा अधिनियम, 1961
18. बोनस भुगतान अधिनियम, 1965

ग्यारह

ग्यारहवीं बैठक

समिति की बैठक मंगलवार 7 जनवरी, 1969 को 10.30 से 13.05 बजे तक और फिर 15.00 से 16.50 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री काशी नाथ पाण्डेय—सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री आर० के० अमीन
3. श्री एम० देवीकन
4. श्री श्रीचन्द गोयल
5. डा० रानेन सेन
6. कुमारी कमला कुमारी
7. श्री समरेन्द्र कुन्डू
8. श्री भजहरि महतो
9. श्री के० आनन्द नम्बियार
10. श्री एस० डी० पाटिल
11. श्री विश्वास राय नरसिन्हा राव
12. डा० शिशिर कुमार शाहा
13. श्री पी० एम० सईद
14. श्री देवन सेन
15. श्री शशि भूषण
16. श्री विश्वनारायण शास्त्री
17. श्री एस० एम० सोलंकी
18. श्री रा० स्व० विद्यार्थी
19. श्री वीरभद्र सिंह
20. श्री दा० रा० चव्हाण

राज्य सभा

21. श्री दलपत सिंह
22. श्री ए० सी० गिलबर्ट
23. पंडित भवानी प्रसाद तिवारी
24. श्री शेरखां
25. श्री श्रीमन प्रफुल्ल गोस्वामी
26. श्री सन्दा नारायणप्पा
27. श्री रेवती कान्त सिन्हा
28. श्री ब्रह्मा नन्द पण्डा
29. श्री जयसुख लाल हाथी

वैधानिक परामर्शदाता

श्री पी० एल० गुप्त अतिरिक्त वैधानिक परामर्शदाता विधि मंत्रालय

श्रम तथा रोजगार विभाग के प्रतिनिधि

1. श्री पी० सी० मैथ्यू
2. श्री एस० टी० मेरानी संयुक्त सचिव

3. श्री एच० के० चौधरी, विशेष कार्य अधिकारी (विधि)

4. श्री एस० सी० गुप्त, श्रम उप मुख्यायुक्त (केन्द्रीय)

5. श्री सी० आर० नायर, अवर सचिव

सचिवालय

श्री मेहर चन्द चावला—उप सचिव

2. समिति ने विधेयक पर खण्डवार पुनः विचार आरम्भ किया।

3. खण्ड 3—निम्नलिखित संशोधन स्वीकृत हुए :—

(1) पृष्ठ 5, खण्ड 3 (2) (ग), पंक्ति 1—"सत्रह से" के पश्चात् "किन्तु ग्यारह से अन्यून" जोड़िये।

(2) पृष्ठ 5, खण्ड 3 (2) (ग), अन्तिम पंक्ति के बाद ये जोड़िये —

"परन्तु कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामनिर्देशित सदस्यों की संख्या प्रधान नियोजकों और ठकेदार का प्रतिनिधित्व करने के लिये नाम निर्देशित सदस्यों की संख्या से कम न होगी।"

खण्ड संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ।

4. खण्ड 4—निम्नलिखित संशोधन स्वीकृत हुए :—

(1) पृष्ठ 5, खण्ड 4 (2) (ग), पंक्ति 1 —

"ग्यारह से अनधिक" के पश्चात "किन्तु नौ से अन्यून" जोड़िये।

(2) पृष्ठ 5, खण्ड 4 (2) (ग), अन्तिम पंक्ति के बाद ये जोड़िये —

"परन्तु कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नाम निर्देशित सदस्यों की संख्या, प्रधान नियोजकों और ठेकेदारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नाम निर्देशित सदस्यों की संख्या से कम न होगी।"

खण्ड संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ।

5. खण्ड 5 से 11—खण्ड संशोधन बिना स्वीकृत हुए।

6. खण्ड 12—निम्नलिखित संशोधन स्वीकृत हुए :—

पृष्ठ 8, खण्ड 12(2), पंक्ति 3, "न्यूनतम" हटा दीजिए।

खण्ड संशोधन रूप में स्वीकृत हुआ।

7. खण्ड 13 से 20—खण्ड संशोधन बिना स्वीकृत हुए।

8. समिति 13.05 बजे मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित।

9. समिति मध्याह्न भोजन के पश्चात 15.00 बजे पुनः समवेत हुई और विधेयक पर आगे खण्डवार विचार आरम्भ किया।

10. खण्ड 21—27—खण्ड संशोधन बिना स्वीकृत हुए।

11. खण्ड 22—निम्नलिखित संशोधन स्वीकृत हुआ :—

पष्ठ 15, खण्ड 28 (2) (घ), पंक्ति 2 में—

"प्रधान नियोजक" के पश्चात "या ठेकेदार" जोड़िये।

खण्ड संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ।

12. खण्ड 29 से 35—खण्ड संशोधन बिना स्वीकृत हुए।

13. तत्पश्चात समिति बुधवार, 8 जनवरी, 1969 के 10.45 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

बारह

बारहवीं बैठक

समिति की बैठक बुधवार, 8 जनवरी, 1969 को 10.45 से 12.30 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री काशी नाथ पाण्डेय––सभापति

सदस्य

(लोक सभा)

2. श्री आर० के० अमीन
3. श्री एन० अंबुचेझियान
4. श्री एस० देवीकन
5. श्री राम कृष्ण गुप्त
6. डा० रानेन सेन
7. कुमारी कमला कुमारी
8. श्री समरेन्द्र कुन्दू
9. श्री भजहरि महतो
10. श्री के० आनन्द नम्बियार
11. श्री एस० डी० पाटिल
12. श्री विश्वास राय नरसिम्हा राव
13. डा० शिशिर कुमार साहा
14. श्री पी० एम० सईद
15. श्री देवेन सेन
16. श्री विश्वनारायण शास्त्री
17. श्री एस० एम० सोलंकी
18. श्री रा० स्व० विद्यार्थी
19. श्री वीरभद्र सिंह
20. श्री दा० रा० चव्हाण

(राज्य सभा)

21. श्री दलपत सिंह
22. श्री ए० सी० गिल्बर्ट
23. पंडित भवानी प्रसाद तिवारी
24. श्री शेरखां
25. श्री श्रीमन प्रफुल्ल गोस्वामी
26. श्री सन्दा नारायणप्पा
27. श्री प्रेम मनोहर
28. श्री रेवती कान्त सिन्हा
29. श्री ब्रह्मानन्द पंडा
30. श्री जयसुख लाल हाथी

वैधानिक परामर्शदाता

श्री पी० एल० गुप्त, अतिरिक्त वैधानिक परामर्शदाता, विधि मंत्रालय

श्रम तथा रोजगार विभाग के प्रतिनिधि

1. श्री पी० सी० मैथ्यू, सचिव
2. डा० एस० टी० मेरानी, संयुक्त सचिव
3. श्री आर० बी० शुक्ल, निदेशक, औद्योगिक सम्बन्ध
4. श्री एस० सी० गुप्त, श्रम उप मुख्य आयुक्त (केन्द्रीय)
5. श्री एच० के० चौधरी, विशष कार्य अधिकारी (विधि)
6. श्री सी० आर० नायर, अवर सचिव

सचिवालय

श्री मेहर चन्द चावला—उप सचिव ।

2. समिति ने विधेयक पर आगे खण्डवार विचार पुनः आरम्भ किया ।

3. खण्ड 1—(देखिये दिनांक 6 जनवरी, 1969 के कार्यवाही—सारांश का पैरा 3) । निम्नलिखित संशोधन स्वीकृत हुए :—

(1) पृष्ठ 1, पंक्ति 15,
"1967" के स्थान पर "1969" रखिए ।

(2) पृष्ठ 2, खण्ड 1 (5) (ख) में—
"समुचित सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा" के स्थान पर
"समुचित सरकार, यथास्थिति, केन्द्रीय बोर्ड या राज्य बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् उस प्रश्न का विनिश्चय करेगी और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा ।"

(3) पृष्ठ 2, खण्ड 1 (5) (ख) के नीचे, ये जोड़िये —
"स्पष्टीकरण इस धारा के प्रयोजन के लिए, किसी स्थापन में किया गया कार्य उस दशा में आन्तरायिक प्रकार का नहीं समझा जायेगा —

(i) जब कि वह पूर्व वर्ती बारह मासों में एक सौ बीस से अधिक दिन किया गया था; अथवा

(ii) जब कि वह सामयिक प्रकार का हो और एक वर्ष में साठ से अधिक दिन किया जाए ।

खण्ड, संशोधित रूप में , स्वीकृत हुआ ।

4. खण्ड 2—(देखिए दिनांक 6 जनवरी, 1969 के कार्यवाही-सारांश का पैरा 4)

खण्ड संशोधन बिना स्वीकृत हुआ ।

5. अधिनियमन सूत्र—निम्नलिखित संशोधन स्वीकृत हुए :—

पृष्ठ 1, पंक्ति 10 में,
"अठाहरवें" के स्थान पर "उन्नीसवें" रखिए ।

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, स्वीकृत हुआ ।

6. विधेयक का पूरा नाम—पूरा नाम संशोधन बिना स्वीकृत हुआ ।

7. वैधानिक परामर्शदाता को अधिकार दिया गया कि वह स्पष्ट त्रुटियों को दूर करे और परिणामी तथा प्रारूप से सम्बन्धित संशोधन विधेयक में करे और संशोधित रूप में उसकी एक प्रमाणीकृत प्रति 15 जनवरी, 1969 तक प्रस्तुत करे ।

8. समिति ने निश्चय किया कि उसके समक्ष दिये गये साक्ष्य को छपवाया जाये और संसद् की दोनों सभाओं के पटल पर रखा जाये और विभिन्न संस्थाओं, निकायों, संगठनों, सरकारी विभागों आदि द्वारा भेजे गये ज्ञापनों को समिति का प्रतिवेदन सभा में पेश किये जाने के बाद सदस्यों की जानकारी के लिए संसद् ग्रन्थालय में रखा जाये ।

9. समिति ने यह भी निश्चय किया कि उसके अध्ययन ग्रुपों द्वारा संविद् श्रमिकों के कार्य का तत्स्थानीय अध्ययन करने के लिए किये गये गैर-सरकारी तथा सरकारी दोनों ही क्षेत्रों के विभिन्न औद्योगिक संस्थानों के दौरों से सम्बन्धित अध्ययन टिप्पणियां संसद् की दोनों सभाओं के पटल पर रखी, जायें और उनकी दो प्रतियां निर्देश के लिए संसद् ग्रन्थालय में रखी जायें ।

10. इसके पश्चात् सभापति ने विमति टिप्पणियों के बारे में समिति का ध्यान प्रक्रिया नियमों के अन्तर्गत अध्यक्ष द्वारा दिये निदेशों के निदेश 87 के उपबन्धों की ओर आकर्षित किया ।

11. तत्पश्चात् समिति ने अपने प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार करने के लिए अपनी बैठक 29 जनवरी, 1969 को 14.30 बजे करने का निश्चय किया । सभापति ने घोषणा की कि यदि सदस्यों के कोई विमति टिप्पण हों तो वे उन्हें 20 फरवरी, 1969 को भेज सकते हैं । सदस्यों से निवेदन किया गया कि यदि सम्भव हो तो वे अपने विमति टिप्पण की चार प्रतियां भेजें ।

12. सभापति ने विधेयक पर विचार करने में सदस्यों द्वारा दिये गये सहयोग के लिए उनका धन्यवाद किया । विधेयक के प्रभारी मंत्री ने भी सदस्यों द्वारा दिये गये सहयोग के लिए उनका धन्यवाद किया ।

तेरह

तेरहवीं बैठक

समिति की बैठक बुधवार, 29 जनवरी, 1969 को 14.30 बजे से 15.05 बजे तक हुई ।

उपस्थित

श्री काशी नाथ पाण्डेय—सभापति

सदस्य

लोक-सभा

2. श्री आर० के० अमीन
3. श्री एन० अंबूचेझियान
4. श्री एम० देवीकन
5. श्री के. आर० गणेश
6. श्री श्रीचन्द गोयल
7. श्री राम कृष्ण गुप्त
8. कुमारी कमला कुमारी
9. श्री एस० डी० पाटिल
10. श्री एस० पी० राममूर्ति
11. डा० शिशिर कुमार साहा
12. श्री बी० शंकरानन्द

13. श्री शशि भूषण
14. श्री विश्वनारायण शास्त्री
15. श्री एस० एम० सोलंकी
16. श्री जी० वेंकटस्वामी
17. श्री रा० स्व० विद्यार्थी
18. श्री वीरभद्र सिंह

राज्य सभा

19. श्री दलपत सिंह
20. श्री ए० सी० गिलबर्ट
21. पंडित भवानीप्रसाद तिवारी
22. श्री शेर खां
23. श्री श्रीमन प्रफुल्ल गोस्वामी
24. श्री सन्दा नारायणप्पा
25. श्री जय सुख लाल हाथी

वैधानिक परामर्शदाता

1. श्री पी० एल० गुप्त, अतिरिक्त वैधानिक परामर्शदाता, विधि मंत्रालय।
2. श्री जी० एन० सक्सेना, सहायक वैधानिक परामर्शदाता, ओ० ए० एल० (एल) सी, विधि मंत्रालय

रोजगार तथा श्रम विभाग के प्रतिनिधि

1. डा० एस० टी० मेरानी, संयुक्त सचिव।
2. श्री एच० के० चौधरी, विशेष कार्य अधिकारी (विधि)
3. श्री एस० सी० गुप्त, श्रम उप-मुख्यायुक्त (सी)
4. श्री बी० के० सक्सेना, उप-निदेशक (प्रवर्तन)

सचिवालय

श्री मेहर चन्द चावला--उप-सचिव

2. आरम्भ में श्रम मंत्री ने समिति को सूचित किया कि वह विधेयक के 1 से 10 तक खण्डों के अपने संशोधनों पर आग्रह नहीं करेंगे। इसके पश्चात् समिति ने संशोधित रूप में विधेयक पर विचार किया और अधिनियमन सूत्र में निम्नलिखित संशोधन के साथ उसे स्वीकृत किया :—

"उन्नीसवां के स्थान पर "बीसवां" रखिये।

3. समिति ने प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार किया और उसे स्वीकार किया।

4. सभापति ने घोषणा की कि विमति टिप्पण, यदि कोई हों, तो वे 20 फरवरी, 1969 के 17.00 बजे तक लोक-सभा सचिवालय को भेज दिये जायें।

5. समिति ने सभापति को और उनकी अनुपस्थिति में श्री आर० के० अमीन को प्राधिकृत किया कि वह उनकी ओर से प्रतिवेदन पेश करें तथा साक्ष्य और अध्ययन दलों द्वारा किये गये दौरों के अध्ययन टिप्पण सभा-पटल पर रखें।

6. समिति ने श्री सन्दा नारायणप्पा को और उनकी अनुपस्थिति में पंडित भवानीप्रसाद तिवारी को प्राधिकृत किया कि वह प्रतिवेदन, साक्ष्य तथा अध्ययन दलों द्वारा किये गये दौरों के अध्ययन टिप्पण राज्य-सभा के पटल पर रखें :

7. सभापति ने घोषणा की कि प्रतिवेदन बुधवार, 26 फरवरी, 1969 को लोक-सभा में पेश किया जायेगा और उसी दिन राज्य-सभा के पटल पर रखा जायेगा ।

8. कार्यवाही को सुचारु रूप से चलाने के लिए सदस्यों ने सभापति का धन्यवाद किया । सदस्यों ने लिखित रूप में इस बात की भी सराहना की कि प्रभारी मंत्री ने सदस्यों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों पर ध्यान दिया और विधेयक के विभिन्न प्रक्रमों पर अपना सहयोग दिया । विधेयक पर विचार करने में सभापति और सदस्यों ने जो सहयोग दिया उसके लिए मंत्री महोदय ने भी उनका धन्यवाद किया ।

9. इसके पश्चात् समिति स्थगित हुई ।

GMGIPND—RS—II—3383 (B) LS—19-4-69—1000.